सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 17 मार्च, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 193, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

एनसीईआरटी: क्या न्यायपालिका को इतना कठोर होने की जरूरत है?

वंदिता मिश्रा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT से जुड़े विवाद पर न्यायपालिका की सख्त टिप्पणियों और हस्तक्षेप को लेकर बहस तेज है। क्या अदालतों को इस मुद्दे पर इतना कठोर रुख अपनाने की जरूरत है?

1968 के प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायिक मामले 'कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ऑफ़ मेट्रोपॉलिस' मामले में क्विंटन हॉग के ख़िलाफ़ उनके एक लेख को लेकर 'न्यायालय की अवमानना' का मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई प्रसिद्ध न्यायधीश लॉर्ड डेनिंग कर रहे थे। क्विंटन हॉग के लेख में न्यायालय की बेहद सख़्त आलोचना की गई थी। तमाम आशंकाओं के उलट अपने फ़ैसले में लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि 'हम इस अधिकार-क्षेत्र का उपयोग कभी भी अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाए रखने के साधन के रूप में नहीं करेंगे। वह कहीं अधिक मजबूत आधारों पर टिकी होनी चाहिए। और न ही हम इसका प्रयोग उन लोगों को दबाने के लिए करेंगे जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं। हम आलोचना से न तो डरते हैं और न ही उससे नाराज़ होते हैं।'

लेकिन आज भारत में साल 2026 भी 1968 से पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। 26 फ़रवरी, 2026 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की NCERT पुस्तक के एक अध्याय 'हमारी न्यायपालिका की भूमिका' और इसके एक हिस्से 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' को लेकर कठोर टिप्पणी करते हुए इसे तुरंत वापस लेने को कहा था। साथ ही NCERT से इस सम्बन्ध में जवाब भी मांगा था। 11 मार्च को जब NCERT ने इस चैप्टर को दोबारा लिखकर दिया तब भी सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किताब लिखने वाले लेखकों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दे दिया है।

न्यायालय ने कहा कि 'हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि या तो प्रोफेसर मिशेल डैनियन और उनके सहयोगी सुपर्णा दिवाकर तथा आलोक प्रसन्ना कुमार के पास भारतीय न्यायपालिका के संबंध में पर्याप्त और सूचित ज्ञान नहीं है, या फिर उन्होंने जानबूझकर और समझते हुए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे कक्षा 8 के विद्यार्थियों के सामने भारतीय न्यायपालिका की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा सके।' इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने दो कदम और आगे बढ़कर यह भी कहा कि 'हम यह समझने का कोई कारण नहीं देखते कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इस देश की अगली पीढ़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने या पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार से क्यों जोड़ा जाए।' इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, विश्वविद्यालयों और सरकारी निधि प्राप्त करने वाली सभी सार्वजनिक संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे तत्काल प्रभाव से इन तीनों शिक्षकों से स्वयं को अलग कर लें और उन्हें ऐसी कोई भी जिम्मेदारी न सौंपें जिसमें पूरी तरह या आंशिक रूप से सार्वजनिक धन खर्च होता हो।

सवाल यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इतना कठोर होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात, तो यह कि तीनों लेखक अकादमिक जगत से जुड़े हैं और प्रोफेसर मिशेल डैनियन ना सिर्फ़ सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तकों का करिकुलम बनाने वाली समिति के अध्यक्ष हैं बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। सुपर्णा दिवाकर शिक्षाविद हैं और आलोक प्रसन्ना कुमार लीगल शोधकर्ता हैं। इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया सरकार ने इन्हें सड़क से उठाकर NCERT का करिकुलम बनाने के लिए नियुक्त नहीं किया था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि संविधान का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय सरकार से एक अन्य समिति बनाने के लिए कहता जो वर्तमान चैप्टर के कंटेंट पर विचार करता और खामियों को, अगर वो हैं तो, ठीक कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ यह सोचने वाली बात है।

सरकार द्वारा इन तीनों शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था, ऐसे में उन्हें इतनी अकादमिक स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि वो अपने तरीके से एक 'संतुलित' पाठ्यक्रम बना सकें। यदि चैप्टर का कंटेंट न्यायपालिका को पसंद नहीं आया तो इसके लिए इन तीनों सदस्यों को अपमानित करने की क्या ज़रूरत थी?

यह बात भी बहुत चिंता करने वाली है कि न्यायपालिका को अपना बचाव खुद ही करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि यह नागरिकों पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता कि वो अपनी न्यायपालिका को कैसे देखें। कोई एक चैप्टर एक झटके में भारत की न्यायपालिका के योगदान को समाप्त नहीं कर सकता। भारत के वर्तमान अखंड और नागरिकोन्मुखी विन्यास के लिए न्यायपालिका ही को श्रेय दिया जाना चाहिए और दिया भी जाता है। 'न्यायपालिका की अवमानना' या अपमान की अवधारणा पुरानी और जर्जर हो चुकी है। दुनियाभर की न्यायपालिकाएँ इसे पुरानी और ग़ैर-जरूरी समझकर निकालकर बाहर कर रही हैं।

ब्रिटिश विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर यूनाइटेड किंगडम की संसद ने 'क्राइम एंड कोर्ट्स एक्ट, 2013' के माध्यम से 'न्यायपालिका के अपमान'/ 'न्यायालय के अपमान' नाम के अपराध को अब समाप्त कर दिया गया है। वहाँ लोगों का मानना है कि न्यायपालिका का सम्मान कानून के डर से नहीं बल्कि उसके कामकाज से आना चाहिए।

11 मार्च के अपने आदेश में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भी कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि '26 फ़रवरी 2026 के आदेश के पारित होने के बाद सोशल मीडिया में कुछ तत्व सक्रिय हो गए और उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया दी। हम दृढ़ता से मानते हैं कि समस्या का सीधे सामना करना चाहिए। इसलिए हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि ऐसे सभी साइटों की पहचान की जाए, उन साइटों को चलाने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाए और उनका पूरा विवरण हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उपयुक्त कार्रवाई कर सकें। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।'

मेरा सवाल है, इससे क्या हासिल होगा? न्यायपालिका को समझना होगा कि सोशल मीडिया इस दौर की नई हक़ीक़त है इससे किस तरह निपटना है वो कम से कम ये तरीक़ा तो नहीं हो सकता, कैसे निपटना है ये आना चाहिए अन्यथा सबकुछ उल्टा पड़ सकता है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स और गालियाँ बकने वाले लोगों को छोड़ दिया जाये तो सोशल मीडिया तमाम ऐसे सवाल उठाता है जिन्हें न संसद अपने पटल पर उठाने लायक समझती है और न ही न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय को कई ज़रूरी सवाल खुद से भी पूछने चाहिए। उसमें से एक ये है कि क्या वाक़ई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर है तो क्या इस पर सिर्फ़ इसलिए बात नहीं करनी चाहिए कि यह न्यायपालिका से संबंधित है?

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बढ़ गई थोक महंगाई, 12 महीने में सबसे ज्यादा

● फरवरी में ये 2.13 फीसदी पर पहुंची, अभी और बढ़ेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.13 फीसदी पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 12 महीने का हाई लेवल है। फरवरी 2025 में ये 2.38 फीसदी पर पहुंच गई थी। इससे पहले जनवरी 2026 में थोक महंगाई 1.81 फीसदी पर थी। वहीं दिसंबर में थोक महंगाई 0.83 फीसदी

पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 16 मार्च को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग लंबी चली तो कच्चे तेल के दाम 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इससे पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है, जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और फल-सब्जी समेत हर जरूरी सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी।

रोजाना जरूरत के सामान खाने-पीने की चीजें महंगी हुईं

रोजाना की जरूरत वाले सामानों (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 2.21 फीसदी से बढ़कर 3.27 हो गई। खाने–पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई माइनस 1.41 से बढ़कर 1.85 फीसदी हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर माइनस 4.01 फीसदी से बढ़कर माइनस 3.78 हुई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 2.86 से बढ़कर 2.92 फीसदी रही। प्राइमरी आर्टिकल, जिसका वेटेज 22.62 फीसदी है। फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15 फीसदी और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा 64.23 फीसदी है। प्राइमरी आर्टिकल के भी चार हिस्से हैं। फरवरी में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.21 फीसदी पहुंच गई है। इससे पहले जनवरी में यह 2.74 फीसदी थी। महंगाई में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब जंग चल रही है।

पीएम मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में की भेंट

किसान कल्याण वर्ष की गतिविधियों से कराया अवगत

प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर लिया मार्गदर्शन

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में पुष्प-गुच्छ भेंटकर स्वागत कर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही राज्य में किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों तथा प्रदेश की प्रगति से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई पहलें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।

शरद की सुबह

ग्रीष्म तो न जाने कब आएगा!
लू के दुर्दम घोड़े पर वह अनलोद्भव अवतार–
पुरुष
कब आ कर धरती को तपाएगा

उस ताप से जिस से वह तप:पूत, तप:कृशा
फिर माँग सके, सह सके वह पावस की
मिलन–निशा
जिस में नव मेघ–दूत शावक–सा
आ कर अदम्य जीवन के द्रावक सँदेसे से
उसे हुलसाएगा–
ग्रीष्म तो न जाने कब आएगा!

तब तक मैं उस का एक अकिंचन अग्रदूत
अपनी अखंड आस्था के साक्ष्य–रूप
मशाल जला दूँ–
न सही क्षयग्रस्त नगर में–
इस वनखंडी में आग लगा दूँ।

– अज्ञेय

बिहार में हो गया खेला, 4 लापता विधायकों ने पलट दी बड़ी बाजी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। राज्यसभा चुनावों में एनडीए को पांचवीं सीट जीतने के लिए

● बिहार में एनडीए ने सभी 5 राज्यसभा सीटें जीतीं

3 विधायकों की जरूरत थी। वहीं महागठबंधन को 6 विधायकों की। हर किसी की नजरें ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के 1 एमएलए पर टिकी थी। इन 6 विधायकों को तो तेजस्वी यादव ने अपनी ओर कर लिया, लेकिन शायद एनडीए ने कांग्रेस और आरजेडी के खेमे ही सेंधमारी कर दी है।

आखिरी क्षणों तक भी महागठबंधन के 4 विधायक लापता रहे। 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी का विधायक। वोटिंग खत्म होने के आखिरी क्षणों तक भी ये वोट डालने नहीं पहुंचे। इन्हें बार-बार फोन किया गया, लेकिन ये लापता ही रहे। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए सुबह 9 बजे से जारी वोटिंग पूरी हो गई है। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। ह्रष्ठ ने बिहार की सभी पांचों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ऐलान किया है। इस जीत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा पहुंच गए हैं।

जीवन, पीड़ा और गरिमा के बीच संतुलन

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' के स्थानीय संपादक है।

हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का इच्छा मृत्यु का फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था का एक संवेदनशील पहलू है। क्योंकि, जब जीवन केवल पीड़ा और दूसरे पर निर्भरता का रूप ले ले, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या व्यक्ति को जीवन के अलावा गरिमा के साथ मृत्यु चुनने का भी अधिकार होना चाहिए! सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी संवैधानिक भावना को समझने और उसे लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

भारत में जीवन को सबसे बड़ा मूल्य माना गया है। भारतीय संस्कृति, धर्म और कानून सभी जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। लेकिन, जब यही जीवन असहनीय पीड़ा, असहायता और निरर्थकता का पर्याय बन जाए, तब समाज और कानून के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु चुनने का अधिकार होना चाहिए! हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति देना, इसी जटिल और संवेदनशील सवाल के केंद्र में खड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है। तेरह सालों से बिस्तर पर निस्तेज पड़े हरीश राणा को जीवन से मुक्ति देने का आदेश केवल एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि यह मानवीय संवेदना, नैतिकता और न्याय के बीच संतुलन खोजने का प्रयास भी है। हरीश राणा का मामला उन हजारों लोगों की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है, जो गंभीर बीमारी या दुर्घटना के बाद सालों तक ऐसे जीवन के लिए विवश होते हैं, जिसमें न तो कोई सक्रिय चेतना होती है और न जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता। ऐसे लोग केवल मशीनों, दवाओं और दूसरों की देखभाल के सहारे जीवित रहते हैं। चिकित्सा विज्ञान भले ही जीवन को लंबा करने में सक्षम हो गया हो, लेकिन वह हमेशा जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं कर पाता। यही वह स्थिति है जहां जीवन के अधिकार और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट हो जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समय के साथ न्यायपालिका ने इस अधिकार की व्याख्या व्यापक रूप से की है और इसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल किया है। जब जीवन केवल पीड़ा और निर्भरता का रूप ले ले, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या व्यक्ति को गरिमा के साथ मृत्यु चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी संवैधानिक भावना को समझने और लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इच्छा मृत्यु का विषय हमेशा से नैतिक, धार्मिक और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। कई लोग इसे जीवन के प्रति अनादर मानते हुए तर्क देते हैं कि मनुष्य को जीवन देने और लेने का अधिकार केवल प्रकृति या ईश्वर के पास है। दूसरी ओर, एक विचारधारा यह भी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा में है और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे अनावश्यक कष्ट झेलने के लिए मजबूर करना भी अमानवीय है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है।

हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया। यह फैसला केवल कानूनी तर्कों पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें मानवीय संवेदना की गहरी समझ भी दिखाई देती है। तेरह साल तक एक व्यक्ति का बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़े रहना केवल उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती, बल्कि यह उसके परिवार,

देखभाल करने वालों और पूरे सामाजिक तंत्र के लिए भी एक गहरी पीड़ा का कारण बन जाती है। ऐसे में अदालत ने यह माना कि केवल जैविक रूप से जीवित रहना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था के मानवीय पक्ष को भी सामने लाता है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इच्छा मृत्यु को सामान्य विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है। इसके लिए कठोर चिकित्सकीय परीक्षण, विशेषज्ञों की राय और न्यायिक निगरानी जैसी कई प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो और किसी व्यक्ति को जबरन मृत्यु की ओर न धकेला जाए।

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह समाज को जीवन की गुणवत्ता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक चिकित्सा ने जीवन को लंबा करने की क्षमता तो विकसित कर ली है। लेकिन, कई बार यह लंबा जीवन केवल पीड़ा और निर्भरता से भरा होता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि चिकित्सा प्रणाली केवल जीवन बचाने पर ही नहीं, बल्कि रोगियों की गरिमा और मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दे। इसके साथ ही यह निर्णय समाज में करुणा और संवेदना की भावना को भी मजबूत करता है। किसी व्यक्ति की पीड़ा को समझना और उसके प्रति सहानुभूति रखना मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इसी मानवीय मूल्य को स्वीकार करता है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, बल्कि उसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा का होना भी उतना ही आवश्यक है।

हालांकि, यह निर्णय कई नई बहसों को भी जन्म देगा। कुछ लोग इसे मानवाधिकारों की दिशा में प्रगतिशील कदम मानेंगे, तो कुछ इसे नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के लिए चुनौती के रूप में देखेंगे। लेकिन यह भी सच है कि बदलते समय में समाज को कठिन प्रश्नों का सामना करना ही पड़ता है और उनके समाधान के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। इच्छा मृत्यु पर यह फैसला हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या केवल जीवित रहना ही जीवन है, या फिर गरिमा, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है? जब कोई व्यक्ति इन सभी से वंचित हो जाए और केवल पीड़ा का प्रतीक बनकर रह जाए, तब समाज और कानून की जिम्मेदारी है कि वह उसके कष्ट को समझे और मानवीय समाधान खोजे।

अंततः हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल एक व्यक्ति की मुक्ति का फैसला नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता और परिपक्वता का प्रतीक भी है। यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा और करुणा की रक्षा करना भी है। इसी अर्थ में यह फैसला न्याय, संवेदना और मानव गरिमा के बीच एक संतुलित सेतु की तरह है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन का सम्मान तभी पूर्ण होता है जब उसमें पीड़ा से मुक्ति और गरिमा के साथ विदाई की संभावना भी शामिल हो।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 17 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

कटक के सरकारी हॉस्पिटल में आग, 10 मरीजों की मौत

- 11 कर्मचारी भी झुलसे, मृतकों के परिजन को 25-25 लाख मुआवजा

कटक (एजेंसी)। ओडिशा में कटक के श्रीराम चंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रविवार रात करीब 3 बजे आग लग गई। हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 7 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, 3 की मौत इलाज के दौरान हुई। आग पहली मंजिल पर ट्रॉमा केयर के आईसीयू में लगी थी। यहां करीब 23 मरीज भर्ती थे। उन्हें बचाने में अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी झुलस गए। अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी सुबह घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे की हाई लेवल जांच का आदेश दिया है। श्रीराम चंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज कटक का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां पूरे राज्य से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं।

राज्यसभा में एलपीजी संकट पर हुआ जबरदस्त हंगामा

- खड़गे बोले-सरकार को पहले से पता था इंतजाम क्यों नहीं किया ?

नई दिल्ली (एजेंसी)। बजट सत्र के दूसरे फेज में सोमवार को लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। इधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को

लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। अगर सरकार समय रहते इंतजाम कर लेती, तो हालात इतने खराब नहीं होते। इस पर भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। इसके बाद भी खड़गे ने बोलना जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब नहीं सुनते है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। पार्टी ने चुनाव आयोग के बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को हटाने के फैसले का विरोध किया।

पेंशनरों ने खेली फूलों की होली

भोपाल। पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला शाखा भोपाल ने शिवाजी नगर में होली मिलन का आयोजन सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित हुए। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रंगारंग आयोजन में पेंशनरों ने फूलों से होली खेली एवं उपस्थित पेंशनरों द्वारा गीत संगीत के साथ सुंदर नृत्य की भी प्रस्तुति दी जिसने कार्यक्रम को और अधिक खुशनुमा बना दिया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने हाल ही में पेंशनरों के हित में लिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों यथा अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन एवं केसलेश चिकित्सा के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सचिव आर जी माथुर, यशवंत सिंह बेस सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर ने किया।

जंग के बीच एलपीजी लेकर भारत पहुंचा पहला जहाज

शिवालिक शिप पर 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर जितनी गैस

- आज नंदा देवी और जग लाडकी शिप पहुंचेंगे गुजरात पोर्ट

तेल अवीव/तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। यह जहाज सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। यह जहाज 14 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच यह भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज है। शिवालिक जहाज पर करीब 46 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46 हजार टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और उसके कल पहुंचने की संभावना है। वहीं जग लाडकी जहाज करीब

81 हजार टन मुरबान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है और इसके भी कल मुंद्रा बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय झंडा वाले जहाज 'जग लाडकी' ने 14 मार्च को यूएई से रवाना होकर करीब 81 हजार टन मुरबान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर यात्रा शुरू की है। जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं।

'नो रोड-नो टोल आंदोलन' के दौरान तोड़-फोड़

- भिंड के मालनपुर में बरैठा प्लाजा पर हंगामा, ऑनलाइन टोल काटने का विरोध

भिंड (नप्र)। ग्वालियर-भिंड-इटावा नेशनल हाईवे-719 के चौड़ीकरण की मांग को लेकर सोमवार दोपहर मालनपुर के बरैठा टोल प्लाजा पर 'नो रोड, नो टोल' आंदोलन शुरू हो गया।

आंदोलन शुरू होते ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया। ऑनलाइन टोल कटने का विरोध करते हुए टोल बूथ में तोड़-फोड़ कर दी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार संत कालीदास महाराज के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी बरैठा टोल प्लाजा पहुंचे और आंदोलन शुरू किया।

इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टोलकर्मी भले ही टोल फ्री होने की बात कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहां से गुजरने वाले वाहनों से ऑनलाइन टोल वसूला जा रहा है।उनका कहना है कि टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर के जरिए गुजरने वाली गाड़ियों से अपने आप पैसे कट रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्वालियर से इटावा तक जाने वाले नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण की मांग को लेकर सोमवार से साधु संतों का आंदोलन बरेठा टोल प्लाजा पर शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में साधु संत बरेठा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और यहां आंदोलन शुरू कर दिया है। एक नागा बाबा ने टोल प्लाजा पर ही धूनी रमाई है। इस आंदोलन का नेतृत्व संत समाज समिति के जिला अध्यक्ष कालिदास महाराज कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से उठ रही है।

काफी दिनों से दे रहे थे चेतावनी

काफी दिनों से साधु-संतों द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही थी। जब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो सोमवार को अपने तय कार्यक्रम के तहत संत समाज बरेठा टोल प्लाजा पर आंदोलन करने के लिए पहुंच गया। यहां बाकायदा टेंट लगाया गया है और संत समाज के साधु आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं।

अगर कानून नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें

प्रयागराज (एजेंसी)। संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के जिला प्रशासन के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का आदेश दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति नमाज में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने फैसला संभल के रहने वाले मुनाजिर खान की याचिका पर सुनाया। याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संभल डीएम और एसपी को फटकार लगाई थी। कहा था- प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके विश्नोई गलत हैं।

बंगाल में चुनाव से पहले ईसी का चल गया 'डंडा'

- चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को हटाया ● कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी भी बदले

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने 6 अफसरों का तबादला कर दिया। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया है। वहीं, आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया है। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच के आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नटराजन रमेश को सुधार सेवा महानिदेशक बनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड

- भारी बर्फबारी में फंसे 235 लोगों को अपनी सेना ने बचाया ● ओडिशा में बवंडर से 2 की जान गई, 6 राज्यों में अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारी बर्फबारी के बीच एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के पास हुए लैंडस्लाइड हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। इसी बीच, सेना ने भारी बर्फबारी के कारण किश्तवाड़ के सिंथन टॉप इलाके में फंसे महिलाएं और बच्चे सहित 235 लोगों को रेस्क्यू किया। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण कई वाहन रास्ते में फंस गए थे। इधर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ देखने गए टूरिस्ट पूरी रात अटल टनल रोहतांग में फंसे रहे। बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ने से ट्रैफिक रोक दिया गया था। टनल में करीब हजार

गाड़ियां फंसी थीं। इधर, सिक्किम के कई इलाकों में रविवार देर शाम तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ और बिजली पोल तक गिर गए। रकडोंग काफर इलाके में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी एक बवंडर ने भारी तबाही मचाई।

बच्चों को रोने-नाराज होने दें

...लेकिन स्मार्टफोन न दें

- योगी ने बंदर की कहानी सुनाई, बोले-इंसानों को सीखना चाहिए

लखनऊ (एजेंसी)। सीएम योगी ने सोमवार को राजस्थान में जालोर के श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर (सिरे मंदिर) के 375 साल पूरे होने पर आयोजित महायज्ञ में हिस्सा लिया। मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में योगी ने बंदरों को खाना खिलाया। इसके बाद धर्मसभा में योगी ने कहा- इंसानों को बंदरों से सीखना चाहिए। बंदरों की तरह से लोभ से बचना भी बड़ी साधना है।

सीएम ने मंदिर के आसपास चौराहे का जिक्र करते हुए कहा- कल जब हम लोग यहां रुके तो ढेर सारे बंदर आ गए। हमने एक बंदर को रोटी दी तो वह खाने लगा, लेकिन जब तक उसने पहली रोटी नहीं खा ली, तब

तक दूसरी नहीं ली। इंसानों को भी यह शालीनता सीखनी चाहिए। इंसान हड़पने और जमा करने की बजाय जरूरतमंद तक पहुंचाने का भाव रखें। योगी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि छोटी उम्र के बच्चों को रोने-नाराज होने दें, वे कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्हें स्मार्टफोन कतई न दें। यह उनकी सोचने की शक्ति को कम कर देता है। बुद्धि को कुंठित कर देता है। लोग इससे डिप्रेशन के शिकार हो रहे।

धर्म जोड़ता है, जातिवाद व्यवस्था को कमजोर करता है- योगी ने कहा- धर्म जोड़ने का माध्यम है, लेकिन जातिवाद व्यवस्था को कमजोर करता है। संत, योगी, योगेश्वर सदैव अजर-अमर हैं। इनकी कृपा भक्तों और आस्थावान श्रद्धालुओं पर बरसती है। हम भी प्रयास करें, क्योंकि देश, समाज, धर्म के लिए किया गया योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समाज को बांटने का पाप करने वाले को समझाएं और उसे दूर करने का प्रयास करें। सीएम ने कहा कि यह देश वीरों व वीरांगनाओं के बलिदान से बना है।

वांगचुक की रिहाई के दो दिन बाद लेह में रैली

कारगिल बंद रहा, सितंबर में 4 लोगों की मौत हुई थी

लेह (एजेंसी)। लद्दाख के लेह शहर में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। वहीं कारगिल में बंद रखा गया। यह रैली पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के दो दिन बाद हुई। सितंबर 2025 में लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ था।

इसमें पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद यह पहली रैली है। यह बंद और रैली लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के आह्वान पर किया गया। इन संगठनों की मुख्य मांगें लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना हैं।

वांगचुक को करीब छह महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में रखा गया था। केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि सभी पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को आसान बनाने के लिए वांगचुक की हिरासत समाप्त की जा रही है। रैली का नेतृत्व केडीए के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने किया।

गत्ता फैक्ट्री की आग बुझाने बुलानी पड़ी आर्मी

- सागर में 10 से अधिक दमकलों ने 7 घंटे में पाया काबू; शॉर्ट सर्किट की आशंका

सागर (नप्र)। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र स्थित चनाटोरिया में रविवार रात 2.30 बजे एक पुट्ठा (गत्ता) फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी और 7 घंटे की मशक्कत के बाद 10 से अधिक दमकलों की मदद से इस पर काबू पा लिया गया है।

आग लगातार बढ़ने पर मकरोनिया नगर पालिका, सागर नगर निगम और शाहपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। आग पर काबू नहीं पाए जाने पर आर्मी को सूचना दी गई, जिसके बाद आर्मी की फायर फाइटर टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला।10 से अधिक फायर गाड़ियों ने सेना के साथ मिलकर करीब 7 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

11.30 बजे तक धधकता रहा कचरा, मलबा हटाने बुलाई जेसीबी- 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कचरे में आग सोमवार सुबह 11:30 बजे तक धधकती रही। घटनाक्रम के बाद मौके पर जेसीबी बुलाई गई है, जिसकी मदद से फैक्ट्री परिसर में धधक रहे कचरे और मलबे को हटाया जा रहा है।जेसीबी से मलबा हटाकर आग को पूरी तरह से बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे।

- तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयरस्ट्राइक की, ग्रोक ने नेतन्याहू के वीडियो को 'डीपफेक' बताया

इजराइल का दावा-पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई का प्लेन तबाह किया

तेल अवीव/तेहरान (एजेंसी)। इजराइली वायुसेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयरस्ट्राइक कर एक विमान को तबाह कर दिया। इजराइल के मुताबिक यह विमान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तेमाल में था। सेना का कहना है कि इस विमान का उपयोग सैन्य खरीद और सहयोगी देशों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए किया जाता था। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल है।

ईरान ने इजराइल पर 'सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल' दागी- ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। यह सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रैटेजिक मिसाइल है, जो 2000-2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। द नेशनल इंटरेस्ट पत्रिका के अनुसार, इस मिसाइल की पहुंच मिस्र, सूडान के कुछ हिस्सों, यूक्रेन के बड़े हिस्से, दक्षिणी रूस, पश्चिमी चीन, भारत और हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बड़े क्षेत्रों तक हो सकती है। जंग के बीच यूएई ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिनमें 19 भारतीय हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन पर सोशल मीडिया पर फेक वीडियो और जानकारी फैलाने का आरोप है।

- **जग लाडकी जहाज कच्चा तेल लेकर कल भारत पहुंचेगा-** दिल्ली में भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय झंडा वाले जहाज 'जग लाडकी' ने 14 मार्च को यूएई से रवाना होकर करीब 81 हजार टन मुरबान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर यात्रा शुरू की है। जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। यह जहाज कल मुंद्रा बंदरगाह पहुंच जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे करीब 90 नागरिक ईरान से जमीन के रास्ते अजरबैजान पहुंचे हैं।

13 साल का रिश्ता है, इसलिए रेप असंभव

हाईकोर्ट ने 'आपसी सहमति' बताकर रद्द की लेफ्टिनेंट कर्नल पर हुई एफआईआर

भोपाल (नप्र)। एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल में तैनात भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ दर्ज ्नद्धक्रको रद्द कर दिया है। उन पर शादी का झूठा वादा करके एक महिला पुलिस कांस्टेबल से कथित तौर पर रेप करने का आरोप था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। महिला पुलिस कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने खुद को कुंवारा बताकर उससे शादी का झूठा वादा किया था।

2013 में लगी महिला को खबर- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की एफआईआर में ही यह बात लिखी है कि उसे 2013 में पता चला था कि याचिकाकर्ता शादीशुदा है। जब उसने इस बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, वे साथ नहीं रहना चाहते हैं और वह जल्द ही तलाक ले लेगा। इसके बाद, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच 2025 तक संबंध बने रहे। जब उसे पता चला कि वह दूसरी महिलाओं के भी संपर्क में है और उनसे भी इसी तरह के वादे कर रहा है, तो उसने 24 फरवरी, 2025 को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। महिला की शिकायत में यह बात कही गई थी।

अधिकारी ने दी थी एफआईआर रद्द कराने की याचिका- सेना के अधिकारी द्वारा अपने खिलाफ एफआईआर रद्द कराने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस सर्राफ ने 11 मार्च, 2026 को अपने आदेश में कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, मुझे बीएनएसस 2023 की धारा 528 के तहत मिली अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके एफआईआर रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

लंबे समय तक चला रिश्ता, इसलिए रेप असंभव

जज ने अपने आदेश में आगे कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच लंबे समय तक चले संबंधों को देखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता ने शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और रेप किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहा है कि यह रेप का मामला नहीं, बल्कि आपसी सहमति से बने संबंधों का मामला है।

कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

जज ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए, जस्टिस सराफ ने कहा, %यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, जब शुरू में शादी का वादा किया गया हो। लेकिन अलग-अलग कारणों से, कोई व्यक्ति शादी का वह वादा पूरा न कर पाए। अगर ऐसा वादा शुरू से ही उसे धोखा देने के किसी गलत इरादे से नहीं किया गया था, तो इसे आईपीसी की धारा 375 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने वाला झूठा वादा नहीं कहा जा सकता।

'संवाद से समाधान' संकल्प के साथ एनएसएस सम्मेलन का शुभारंभ

भोपाल। मध्य प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा को अनुशासन और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के उद्देश्य से आज राजधानी भोपाल में 'राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) सम्मेलन 2026' का शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल द्वारा डॉ. अशोक कुमार श्रोती (क्षेत्रीय निदेशक, म.प्र. एवं छत्तीसगढ़) के नेतृत्व और संगठन व्यवस्था में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य ध्येय 'संवाद से समाधान' रखा गया है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव (ACS) उच्च शिक्षा

अनुपम राजन ने दीप प्रज्वलित कर सत्र का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने NSS के स्वयंसेवकों की कार्यप्रणाली और उनके अनुशासित व्यवहार की जमकर सराहना की।

उन्होंने गर्व के साथ उल्लेख किया कि, 'मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के इतिहास में आज तक NSS के स्वयंसेवकों द्वारा कभी भी विभाग या शासन के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं की गई है। यह उनके संस्कार और संगठन के प्रति निष्ठा का ही परिणाम है। '

उन्होंने विश्वास दिलाया कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में हस्र्स की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष और बेहतर प्रयास करेगा। भारत सरकार, हस्र्स के उप कार्यक्रम सलाहकार डॉ. अशोक कुमार श्रोती ने सम्मेलन के विजन को साझा करते हुए बताया कि कैसे 'संवाद' के माध्यम से स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शैलेंद्र सिंह जी (सीईओ एवं एडीएम, सतना) और डॉ. शिवकुमार शर्मा जी (प्राचार्य, माधव कॉलेज, ग्वालियर) उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से एनएसएस की महत्ता पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के तकनीकी सत्र में मध्य प्रदेश के सातों विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयकों ने हिस्सा लिया। सभी समन्वयकों ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित विशेष गतिविधियों और नवाचारों का विवरण प्रस्तुत किया।

डिप्टी सीएम ने अत्याधुनिक कैंसर ब्लॉक का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैरियर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल में अत्याधुनिक कैंसर

ब्लॉक का शुभारंभ किया। उन्होंने उन्होंने एलेक्टा हार्मनी (स्वीडन) की विश्वस्तरीय रेडिएशन मशीन सेवा का शुभारंभ भी किया। बताया गया कि नवीन कैंसर ब्लॉक में लीनियर एक्सीलरेटर तथा पीईटी-सीटी जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं, जिनकी सहायता से प्रदेश के मरीजों को अब भोपाल में ही उच्चस्तरीय कैंसर उपचार उपलब्ध होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को बड़े अस्पतालों में इलाज का अधिकार दिया है। उन्होंने बताया कि भोपाल के साथ ग्वालियर, इंदौर, रीवा और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में भी कैंसर उपचार के लिए आधुनिक ब्लॉक तैयार किए गए हैं। उन्होंने बीमारियों की रोकथाम के लिए प्राकृतिक खेती और रसायनमुक्त भोजन को अपनाने पर भी जोर दिया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और निवारक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर स्वस्थ समाज के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है।

नापतौल विभाग को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी

बम डिस्पोजल स्कॉड सहित एमपी नगर पुलिस ने की सर्चिंग, नहीं मिला बम

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में पीपुल्स विश्वविद्यालय और एम्स के बाद अब एमपी नगर में स्थित नापतौल विभाग के कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद विभाग में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारी बाहर बैठे नजर आए। बम डिस्पोजल स्कॉड सहित पुलिस की टीम ने मौके पर सर्चिंग की। हालांकि कोई बम नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब नौ बजे ई-मेल के माध्यम से धमकी मिली थी। जिसमें बताया गया था कि नापतौल विभाग भोपाल में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रख दिए गए हैं।

सर्चिंग में कुछ नहीं मिला

इतना ही नहीं दोपहर एक बजे वह फटेंगे। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ बस स्क्वॉड टीम मौके पर पहुंच गई थी। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। हालांकि सर्चिंग में धमकी फेक पाई गई। क्योंकि मौके पर किसी तरह के कोई सिलेंडर नहीं मिले। बताया जाता है कि इससे पहले पीपुल्स विश्वविद्यालय और एम्स को भी धमकी भरे मेल मिले थे, लेकिन बाद में वह सूचना भी फर्जी निकली थी। हालांकि पुलिस ई-मेल करने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

फरार वारंटी पर दस हजार का इनाम घोषित

स्टेशन बजरिया थाना पुलिस ने जारी की सूचना, नवाब सेंटिंग वाला की तलाश

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में फरार चल रहे एक वारंटी की

तलाश में पुलिस ने आमजन से मदद की अपील की है। थाना स्टेशन बजरिया पुलिस ने आरोपी की जानकारी देने या पकड़वाने वाले को 10 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार नवाब सेंटिंग वाला पिता सैयद साजिद अली (उम्र लगभग 58 साल) मूल निवासी बाग फरहत अफजा थाना ऐशबाग और वर्तमान में गैस राहत कॉलोनी, थाना निशातपुरा क्षेत्र का निवासी है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है और उसके खिलाफ वारंट जारी है।

सूचना देने वाले का नाम होगा गोपनीय

थाना स्टेशन बजरिया पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के संबंध में कोई जानकारी मिले या वह कहीं दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले या पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को नगर पुलिस अधीक्षक जोन-1 की ओर से 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल या थाना स्टेशन बजरिया में दी जा सकती है।

संपर्क नंबर

पुलिस कंट्रोल रूम : 9479990454
थाना स्टेशन बजरिया : 9479990527 / 9479990523

सड़क पर घूंसे-थप्पड़ मारे

कोलार पुलिस ने रेलकर्मियों को पीटा

कॉलर पकड़कर खींचते ले गए, बस रोकने पर झूमाझटकी, 30 मिनट ट्रैफिक जाम रहा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में डी मार्ट के सामने रविवार शाम बस रोकने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और रेलकर्मियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दो रेलकर्मियों को बीच सड़क पर थप्पड़-घूंसे मारे और कॉलर पकड़कर खींचते हुए ले गए। मामला कोलार थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक बस रोकने को लेकर पहले बहस शुरू हुई। इसके बाद सड़क पर ही झूमाझटकी और मारपीट की स्थिति बन गई। इस दौरान रेलकर्मी भी ट्रैफिक आरक्षक की कॉलर पकड़ते हुए दिखाई दिए। हंगामे के कारण करीब 30 से 35 मिनट तक सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। मारपीट और झूमाझटकी के वीडियो भी सामने आए हैं।

आरक्षक से बस रोकने का कारण पूछने के बाद बढ़ा विवाद- जानकारी के मुताबिक कोलार स्थित डी मार्ट के सामने ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगी थी। यहां ट्रैफिक आरक्षक सरजीत यादव तैनात थे। रविवार शाम करीब 6:30 बजे उन्होंने एक बस को रोका। बस रुकते ही उसमें सवार कुछ लोग नीचे उतर आए और आरक्षक से बस रोकने का कारण पूछने लगे। बस में सवार लोगों ने खुद को रेलवे

कर्मचारी बताया। आरक्षक ने उन्हें बताया कि शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध है। साथ ही बस पर बैनर लगा होने के कारण नंबर प्लेट भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर बस में सवार कुछ रेलकर्मी नाराज हो गए और आरक्षक से बहस करने लगे।

आरक्षक से झूमाझटकी का आरोप- पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान कुछ रेलकर्मियों ने आरक्षक सरजीत यादव के साथ झूमाझटकी की और अपशब्द कहे। इसके बाद आरक्षक ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख पास में मौजूद ट्रैफिक के एसआई मौके पर पहुंचे। इसके बाद डायल-112 की टीम भी वहां पहुंची और दो रेलकर्मियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिससे कोलार रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ।

आरक्षक पर बदसलूकी का आरोप

रेलवे कर्मचारियों का आरोप है कि बस रोकने के दौरान आरक्षक ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके कारण विवाद बढ़ गया। वहीं आरक्षक का कहना है कि रेलकर्मी बस रोके जाने से नाराज थे और उन्होंने ही पहले झूमाझटकी व मारपीट की। वहीं घटना के वीडियोज सामने आने के बाद डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एमपी में ग्रुप-5 भर्ती प्रक्रिया शुरू

स्वास्थ्य सेवाओं के 373 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू, 15 अप्रैल से परीक्षा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए ग्रुप-5 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश के अलग-अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और विभागीय संस्थानों में कुल 373 रिक्त पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 4 अप्रैल तय की गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अंतिम चयन सूची जारी कर संबंधित विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।

गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहा बिना टैक्स का माल

कंस्ट्रक्शन मटेरियल एमपी में खपाया जा रहा, नेता प्रतिपक्ष ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में संगठित तरीके से चल रहे एक बड़े 'जीएसटी चोरी नेटवर्क' का खुलासा करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोर्चा खोल दिया है। सिंघार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की केंद्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

सिंडिकेट के जरिए टैक्स को चंपत लगा रहे माफिया- नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों से लोहा (आयरन), निर्माण सामग्री और मसालों की खेप बिना वैध टैक्स चुकाए मध्यप्रदेश के बाजारों में खपाई जा रही है।

सीएम यादव ने श्रीमती सुभद्रा वर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती सुभद्रा वर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजन को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

प्रदेश के ग्वालियर में छुट्टी के दिन खुलीं गैस एजेंसियां

भोपाल में कांग्रेस ने लगाई चाय की दुकान, मंदसौर में नरेंदर-सरेंडर के नारे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में एलपीजी संकट से राहत मिलनी शुरू हुई है तो कई में गैस सिलेंडर की किल्लत बरकरार है। सोमवार को ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि बुकिंग की 40 प्रतिशत समस्या खत्म हो गई है।

वहीं, भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में सोमवार सुबह गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पहुंचा। भरे सिलेंडर बांटने के बाद 50 से ज्यादा लोग खाली हाथ रह गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। हरदा में एलपीजी एजेंसियों पर सिलेंडर भरवाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं। उधर, भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाय की दुकान लगाई। नाले में पाइप लगाकर उससे निकलने वाली गैस से चाय बनाने की कोशिश की। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए पोस्टर में लिखा था- कृपया मोदी जी की सलाह मानें। रसोई गैस के पीछे न भागें, गंदे नाले की गैस का उपयोग करें। मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठेले पर गैस सिलेंडर रखकर रैली निकाली। प्रधानमंत्री के खिलाफ नरेंदर-सरेंडर के नारे लगाए।

मध्य प्रदेश में एलपीजी किल्लत का असर शादियों पर भी देखा जा रहा है, जहां खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से ईटखेड़ी स्थित स्वयंवर मैरिज गार्डन में रविवार रात फूलमाली समाज की शादी में खाने का मेन्यू बदल दिया गया। मेहमानों के लिए बिना गैस सिलेंडर के बनने वाले दाल बाफले तैयार किए गए द्य पूरा खाना लकड़ी की भट्टी पर बनाया गया।

दूल्हे रोहित माली ने कहा- हमने अलग-अलग प्रकार की डिश बनवाने की तैयारी की थी। इसमें करीब 20 गैस सिलेंडर का उपयोग होना था लेकिन हमें सिलेंडर न मिल सके और पूरा मेन्यू कैंसिल कर दाल बाफले बनवाना पड़े।

संपादकीय

इच्छामृत्यु : अंतिम विकल्प

विगत तेरह साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा इच्छामृत्यु की कानूनी इजाजत देने के मूल में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह अनुमति हरीश के उन्हीं मां-बाप ने मांगी थी, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला-पोसा। इच्छामृत्यु, जिसे अंग्रेजी में यूथेनेशिया कहते हैं कानूनी ढंग के पीड़ित को धीरे-धीरे मौत के मुंह में ढकेलना है, लेकिन इसकी अनुमति तभी दी जाती है, जब मरीज को बचाने के सभी उपाय खत्म हो जाएं और एकमात्र अंतिम विकल्प ऐहिक जीवन से मुक्ति रह जाए। हरीश राणा केस में यही हुआ है। इस दृष्टि से यह भारत का अपने ढंग का पहला मामला है। गौरतलब है कि हरीश राणा 20 अगस्त 2013 को एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके मां-बाप ने काफी इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब से हरीश वेंटीलेटर पर थे। यानी उनका शरीर लगभग अचेत था, केवल सांसें चल रही थीं। ऐसे में सवाल यह था कि हरीश के जीवित रहने का क्या अर्थ है? मेडिकल की भाषा में वो ब्रेन डेड हो चुके थे। बावजूद इसके उनके सांसों की डोर टूटी नहीं थी। 13 साल से इलाज और सेवा कराते-कराते उनके मां-बाप भी थक चुके थे। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए थे। जान थी, लेकिन जीवन नहीं थी। ऐसे में बेहतर तो यही था कि हरीश को मुक्ति दी जाए। लेकिन इस तरह की किसी को भी जान से मार देना हत्या की श्रेणी में आता। क्योंकि हरीश के मामले में इच्छामृत्यु के साथ भी नैतिक सवाल जुड़ा था कि क्या मेडिकल साइंस जो मनुष्य को बचाने के लिए है, या किसी को परलोक भेजने के लिए है? क्या इसे किसी को मारने के लिए कानूनी तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है? जाहिर है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। यह अगर व्यावहारिक रूप से सही भी हो तो भी उसे सर्वोच्च अदालत की अनुमति से ही किया जा सकता था। लिहाजा सारी उम्मीदें खो चुके और हरीश के शारीरिक कष्ट से व्यथित उसके मां- बाप ने सर्वोच्च अदालत की शरण ली और उनके पुत्र को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। एक याचिका पर सर्वांगीण विचार करते हुए कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश के शरीर से कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी। हालांकि इस कानूनी इजाजत के बाद भी मरीज को इच्छासमृत्यु वरण करने तक की मेडिकल प्रक्रिया लंबी और क्रमिक है। इसके तहत धीरे-धीरे हरीश की जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाया जाएगा। उन्हें जिंदा रखने के लिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ भी बंद कर दिए जाएंगे। इसकी शुरूआत हो चुकी है। हालांकि भारत में इच्छामृत्यु अभी भी अपेक्षाकृत विरल है। इस बारे में लोगों की जागरूकता सीमित है। सांस्कृतिक रूप से, कई परिवारों को मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना कठिन लगता है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में चार दशकों से कोमा में पड़ी नर्स अरुणा शानबाग के लिए इच्छामृत्यु को अस्वीकार कर दिया था। शानबाग का 42 साल बाद निधन हो गया। ऐसे ही एक मामले में 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है और लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) की अनुमति दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रियाओं को सरल बनाया, दो-स्तरीय मेडिकल बोर्ड सिस्टम शुरू की और पहले की प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया। इसके बाद हरीश का यह पहला मामला है।

शांति अभ्यास बनाम युद्ध अभ्यास

नजरिया

सुधीर मोता

लेखक साहित्यकार हैं।

यह हाल ही की बात है। एक दम हाल की तो नहीं, दुनिया बेहाल हुई है उससे कुछ पहले की। बताते हैं हमने क्या देखा। एक महासागर में दुनिया के दस बड़े देशों का संयुक्त शांति अभ्यास चल रहा है। आपने अखबारों और टीवी से जाना ही होगा कि संयुक्त युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं, पर हमें सपना आया है कुछ और ही। अब आया तो उससे गुजरना ही था। सपनों और यादों पर अपना बस नहीं चलता भले ही आप कितने ही शाणे हों उन्हें खदेड़ नहीं सकते, और अगर आप थोड़े बहुत लेखक किस्म के हों तो तो आपकी ये लाचारी और एक्स्टेंड होते हुए यहां तक पहुंचती है कि आप लिखकर अपना ये मूखार्पा दुनिया से साझा करने को उतावले रहते हैं। यहां मूर्खापा शब्द का इस्तेमाल पहचान छिपाने और अपने को भद्र बताने के लिये मूल विशेशण को बदल कर किया गया है।

सपने में क्या था ये आप को बताते हैं। पूरा सागर लबालब भरा था। किसी देश के सफेद बगुलों का झुंड सतह पर उतरा और स्थिर हो गया। तभी एक और देश के कबूतर एक चट्टान पर हौले से आ कर बैठ गये। उधर कुछ पेंग्विन पहले से ही आ चुके थे और किनारे पर काला कोट पहने वकीलों की तरह मानों कचहरी लगने के इंतजार में खड़े थे। हमने कभी किसी पेग्विन का बैठे हुए का कोई चित्र आज तक नहीं देखा सो सपने में भी वो खड़े थे। दूर से एक बड़ा षांत झुंड इंसानों का चला आ रहा था। इनकी पोशाक और मुद्रा से ही पता चल रहा था कि वे विभिन्न धर्मों के संत महात्मा मौलवी पादरी बैरागी हैं। फिर अचानक ही क्या देखते हैं कि कुछ बख्तरबंद गाड़ियां वहीं धड़धड़ाती हुई आ कर रूकीं। पीछे कुछ टेंक भी आ रहे थे। कुछ हवाई जहाज़ इतना तेजी से गुजरे कि वे सारे पक्षी फुर्र से उड़कर वहां से रफूचक्कर हो गये। सारे संत महात्मा मौलवी पादरी बैरागी देखते ही देखते लुप्त हो गये।

यकायक एक पनडुब्बी सतह पर उभरी और किनारे के पास स्थिर हो गई। एक बड़ा, भारी भरकम विमानवाहक पोत क्षितिज से दिखाई दिया। कई राष्ट्र विशेषण प्रमुख उस पर सवार थे बहुत जल्दी ही कुछ और आ गये और उनकी सभा शुरू हुई। यह पहली बार था कि लगभग सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां उपस्थित थे, सारों के चेहरे पर तनाव था। उन्होंने अपने में से ही एक को सभा का प्रमुख चुन लिया था। भूमिका बताते हुए प्रमुख ने कहा - साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम युद्ध प्रिय लोगों पर हमेशा ही यह संकट मंडराता है कि कहीं दुनिया में शांति का विस्फोट न हो जाये। थोड़ा बहुत तो हम रोज ही देखते हैं कई जगह दिनों तक शांति का प्रभुत्व बना रहता है। हम कुछ नहीं कहते। सोचते हैं आई है तो थोड़ी देर में अपने आप चली जायेगी। बैठक में कुछ नागरिक भी बुलाये गये थे, आयोजकों को पता था इन कुछ नागरिक लोगों के पास शांति स्थापना के बहुत से नुस्खे रहते हैं तभी न जब तब शांति शांति करते रहते हैं। सामान्य से दिखने वाले एक इंसान ने जो दंगों फसादों और युद्ध का बड़ा लाभार्थी था, कहा, साहब, कई बार तो हम घंटों तक पड़ोस के घर से लड़ने और बर्तन भांडे फेंकने की आवाज न आये तो बर्दाश्त कर लेते हैं। पड़ोसी के घर की बिजली चली जाये और कुछ देर तक तेज़ संगीत और लड़ाई झगडे की आवाज़ न आये तो दम घुटने लगता है उससे कितनी बार कहा इन्वर्टर लगवा ले। बाद में पता चला वह हेडफोन लगा कर गाने सुनता है और वे लोग घर में लड़ाई के समय अपने साउंड प्रूफ दरवाजे बंद कर लेते हैं। होते हैं कुछ लोग जो अपना ये सुख दूसरों से बांट नहीं सकते। खैर इस प्रवृत्ति पर रोक तो हम बाद में लगायेंगे पहले हमें पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। हमें पता चल गया है एक गुप्त बैठक हुई है जिसमें सभी धर्मों के संत महात्मा मौलवी पादरी बैरागी यहां तक कि शांति के प्रतीक माने जाते कई पंछी भी उपस्थित हुए। उनकी योजना है कि दुनिया भर में युद्ध के विरूद्ध युद्ध छेड़ा जाये, हथियार बनाया और बेचा जाना बंद हो। अणुबमों पर किसी शांति पाठ द्वारा अभिमंत्रित जल को छिड़क कर उसकी संरचना बदल देने का भी छल वे करने वाले हैं। वे बम किसी डब्बे की तरह बेकार हो जायेंगे। साथियों हम विचार करें कि हम इन लाखों हथियारों का क्या करेंगे। इतने हवाई जहाज़ मिसाईलें तोपें बंदूकें किस काम आयेंगी। वे तो लोगों को भी बरगला रहे हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। अगर उन्होंने जनता लोग का मन भी बदल दिया तो हम करेंगे क्या। इसीलिये हमने इसे शांति अभ्यास कह कर इससे निपटने की योजना बनाई कि कहीं हमें चौन की सांस न लेनी पड़ जाये इन मुए शांति के पैरोकारों के कारण।

तभी उन में से एक उठ खड़ा हुआ। वह एक छोटे से देश का प्रमुख था। उसे इसलिये बुलाना जरूरी था कि वह बड़े देशों के हथियार उद्योग के प्रमुख खरीददारों में एक था और सभी के खज़ानों में उसके कर्ज की हुंडियां भरी हुई थी। बड़े देशों का वह प्रिय खिलौना था जो चलता भी था और बजता भी बहुत था। उन्हें लगा कि वह ठकुर सुहाती ही करेगा। पर अभी उसके तेवर कुछ अलग थे। उसने हाथ पेट पर बांधे हुये कुछ नम्रता और कुछ शेखी से कहा -छोटा मुंह बड़ी बात है पर आज मैं कहूंगा- हम क्यों इन शांति वालों से डरे हुए हैं? हमारे पास एक दूसरे से डर की बहुत बड़ी ताक़त है जो हमें लगातार जगाये रखती है। हमारी हथियार बनाने की फेक्ट्रियां और नई नई खोजें कभी बंद नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास डर की ताकत है। हम साबित कर सकते हैं कि हम डरने में इतना आगे हैं कि हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वे शांति वाले? देखा नहीं हमसे पहले वे यहां बैठक कर रहे थे और हमें आते देखते ही कैसे भाग खड़े हुए। उनका डर हम से है, हमारा डर आपस में एक दूसरे से है। यही हमारा ट्रेड सीक्रेट है, और हम व्यापार ही तो कर रहे हैं। ऐसा व्यापार जिस पर इंसानियत की हिफाजत का चोला चढ़ा है। और हम चिंता क्यों करते हैं ? उनके साथ जो धर्मगुरू थे उनकी भी तो अपनी दुकानें हैं जिनसे वे संतुश्ट हैं। दुनिया में अगर शांति हो गई तो उन्हें कौन पूछेगा। इसलिये हम अपने अपने डरपोकपन को कायम रखें और यह डर न रखें कि शांति का सपना देखने वालों से हार जायेंगे। अच्छा हुआ कि हमने युद्ध अभ्यास की तर्ज पर शांति अभ्यास करने की सोची। वे भी यही करने जा रहे थे। अब मैं निवेदन करूंगा कि दुनिया से युद्ध विदा न हो इसके लिये एहतियात के तौर पर रणनीति बना कर रखें, एकाएक अगर शांति छिड़ जाये तो कैसे उससे मुकाबला करना है यह अभी से तय कर लें। हमारा देश आपके साथ है, अगर तनिक भी संदेह हो तो खात्री के लिये हम अपने साथ आग लगाऊ दस्ते लायें हैं जहां कहें वहां भिजवा देते हैं।

उसके स्वर में ललकार थी, तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। नीचे समुद्र में भारी हलचल हो गई, छोटी मछलियों को छोटी मछलियों से डर लगने लगा। शंखों के तलहटी में लगे ढेर कसमसाने लगे, कुछ बड़े शंख जो युद्ध समय में नाद करने के लायक शेप और साउंड के थे चिंतातुर हो गये- अब हमें कौन पूछेगा? फिर वे समझ गये ये कोलाहल ये उत्तेजक षोर उनके हित की सोचने वालों की ओर से है।

प्रिय पाठकों, यकायक इतने कोलाहल का व्यवधान आने से वह सपना अधूरा ही भंग हो गया। अब मैं जागते चलते भी सोचता रहता हूं किसके पास पहले जाऊं और निवेदन करूं कि हम लेखकों के मन का द्वंद्व ही इतना अधिक है कि सब मिलाकर इनके कोलाहल से ही दुनिया चल लेगी, आप चिंता न करें। फिर भी मैं धर्म गुरूओं के पास रात में जाता हूं पर वे सुबह जल्दी उठकर प्रवचन देने के फेर में सोये मिलते हैं। दिन में लोगों से घिरे रहते हैं। पक्षियों के पास जाता हूं तो वे डर कर उड़ जाते हैं। हिंसक पशुओं से मैं ही डर जाता हूं। हां पर वह सपना एक आईडिया दे गया कि ताकतवर लोगों की ताकत डर है, उसे हरा कर दुनिया में शांति आ सकती है। पर यह सब किया कैसे जाये? एक उपाय हो सकता है दुनिया के सारे लोगों को एक साथ सपना आ जाये। इस सपने में क्या फार्मूला होगा वह जानने के लिये मैं सोने की कोशिश करता हूं। सपने में आदतन प्रेम करने में इतना खो जाता हूं कि युद्ध की बातों के लिये जगह नहीं बचती। सुबह उठ कर अखबार में पढ़ता हूं कि अगले संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिये समय सारिणी बना ली गई है। बाकी देश और डर गये हैं, दुनिया में डर जब तक है शांति नहीं आने वाली। कामना करता हूं कि दुनिया मर मिटे इससे पहले ये डर मिटे। तब तक प्रेम के सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश का जुर्म करता हूं। इससे सपने अच्छे आते हैं। शांति का फार्मूला वहीं, नींद में ही मिलेगा जागे में तो डर बहुत है।

भविष्य किसका : परमाणु या अक्षय ऊर्जा?

विश्व परमाणु उद्योग वैश्विक रिपोर्ट

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट के ताज़ा आँकड़े बताते हैं कि दुनिया की ऊर्जा दिशा निर्णायक रूप से बदल चुकी है। बीते पच्चीस वर्षों से परमाणु ऊर्जा उद्योग लगभग ठहराव की स्थिति में है, वहीं नवीकरणीय ऊर्जा उसी अवधि में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। रपट के अनुसार वर्ष 2025 में पूरी दुनिया में जहाँ केवल 4.4 गीगावॉट नई परमाणु क्षमता का विस्तार हुआ है, वहीं सौर और पवन ऊर्जा में लगभग 793 गीगावॉट की वृद्धि हुई। ये आँकड़े बताते है कि वैश्विक ऊर्जा नीति और निवेश की दिशा अब किस ओर मुड़ चुकी है। परमाणु ऊर्जा, जिसे कभी आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक माना गया था, अब धीरे-धीरे हाशिये पर जा रही है। इसके उलट अक्षय ऊर्जा न केवल ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत बनती जा रही है, बल्कि वह एक नई सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दिशा का प्रतिनिधित्व कर रही है।

रपट यह भी इंगित करती है कि परमाणु रिएक्टर बनाने वाले देशों की संख्या तेज़ी से घट रही है। पिछले दो वर्षों में यह संख्या 16 से घटकर 11 रह गई है। कई देशों ने या तो अपने अंतिम निर्माण परियोजना पूरी कर ली हैं या फिर नई परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों ने अपने आख़िरी निर्माण प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। वहीं अर्जेंटीना, ब्राज़ील और जापान ने निर्माण कार्यों को या तो रोक दिया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इन सबके बीच केवल पाकिस्तान ऐसा देश है, जो हाल के वर्षों में इस सूची में नया नाम बनकर उभरा है।

आज दुनिया में 31 देश ऐसे हैं, जहाँ व्यावसायिक रूप से परमाणु बिजलीघर संचालित हो रहे हैं। लेकिन इनमें से भी केवल आठ देश ही नए रिएक्टर बना रहे हैं। इसके अलावा तीन देश बांग्लादेश, मिस्र और तुर्किये पहली बार अपने यहाँ परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं। गौरतलब है कि इन तीनों देशों में यह काम रूसी परमाणु उद्योग की सहायता से हो रहा है।

शोधकर्ताओं का विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2025 परमाणु उद्योग के लिए एक और निराशाजनक वर्ष रहा। जिस समय दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है, उस समय परमाणु ऊर्जा अपेक्षित भूमिका निभाने में असफल रही है। वर्ष में दुनिया भर में केवल चार नए रिएक्टर चालू हुए, जबकि सात रिएक्टर स्थायी रूप से बंद कर दिए गए।

आज वैश्विक स्तर पर केवल 404 परमाणु रिएक्टर ही संचालित हैं, जो 2002 के 438 से काफी कम हैं। परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वैश्विक बिजली उत्पादन में घटकर 9 फीसद रह गई है, जबकि 1996 में यह 17.5 फीसद थी। यह गिरावट बताती है कि परमाणु ऊर्जा न केवल विस्तार में पीछे छूट रही है, बल्कि अपने ऐतिहासिक प्रभुत्व को भी खोती जा रही है। आमतौर पर परमाणु संयंत्र को बनने में दस से पंद्रह साल लगते हैं, और लागत अक्सर शुरुआती अनुमान से दोगुनी-तिगुनी हो जाती है। परमाणु ऊर्जा केवल ऊर्जा उत्पादन का प्रश्न नहीं है, वह हमेशा से वैश्विक राजनीति, सैन्य शक्ति और सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ी रही है। यही कारण है कि जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है, तो परमाणु संयंत्र सबसे अधिक जोखिम वाले ठिकानों में गिने जाते हैं। वे स्थिर लक्ष्य होते हैं, जिन पर हमला केवल एक देश ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।

चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी आपदाएँ बताती हैं कि एक दुर्घटना पूरे देश और कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आज यह खतरा केवल तकनीकी या प्राकृतिक आपदा तक सीमित नहीं रह गया है। इतिहास गवाह है कि परमाणु संयंत्रों पर सैन्य हमले कोई नई बात नहीं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस खतरे को अभूतपूर्व रूप से उजागर कर दिया है। इज़राइल द्वारा इराक और सीरिया के परमाणु ठिकानों पर हमले, ईरान-इराक युद्ध में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना, और अमेरिका द्वारा इराक के शोध रिएक्टर को नष्ट करना वहीं यूक्रेन का ज़ापोरिज़्झिया परमाणु संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, आज भीषण सैन्य तनाव के बीच खड़ा है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि शांतिपूर्ण परमाणु हमेशा सैन्य राजनीति की छाया में रहा है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस स्थिति को अत्यंत नाजुक और अस्थिर बताया है। वर्ष 2025 में चेर्नोबिल के क्षतिग्रस्त चौथे रिएक्टर के ऊपर बने सुरक्षा गुंबद पर एक ड्रोन हमले ने गंभीर नुकसान पहुँचाया था। यह घटना बताती है कि दशकों पुरानी परमाणु आपदाएँ भी आज के युद्धों में दोबारा खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा यूक्रेन में कम से कम 10 बार ऐसे सब-स्टेशनों पर हमले हुए, जो परमाणु संयंत्रों को बिजली आपूर्ति करते हैं। उर्जा एंजेसी के अनुसार ये सब-स्टेशन परमाणु सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से रिएक्टरों को ठंडा रखने और अन्य सुरक्षा प्रणालियाँ चलाने के लिए बिजली मिलती है। चीन एकमात्र बड़ा बाजार है, जहाँ अभी भी परमाणु निर्माण के कुछ प्रोजेक्ट देखे जा सकते है यही कारण है कि वर्ष 2025 में बनी अधिकांश नई निर्माण-शुरुआतें चीन में ही केंद्रित रहीं। 2025 में कुल 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई, जिनसे लगभग 12 गीगावॉट क्षमता जुड़ने की संभावना है।

वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में ताइवान ने वर्ष 2025 में अपना अंतिम परमाणु रिएक्टर बंद कर दिया और वह परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ने वाला दुनिया का पाँचवाँ देश बन गया। इससे पहले इटली (1990), कज़ाख़स्तान (1999), लिथुआनिया (2009) और जर्मनी (2023) ऐसा कर चुके हैं।

इसके बावजूद वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन दावा करता है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु क्षमता 1,446 गीगावॉट तक पहुँच सकती है। लेकिन एसोसिएशन इन दावों को अवास्तविक मानती है।

यह सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं है, यह सत्ता और लोकतंत्र का सवाल भी है। परमाणु ऊर्जा एक अत्यधिक केंद्रीकृत मॉडल है। इसे केवल राज्य या विशाल कॉरपोरेट ढाँचे ही नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं अक्षय ऊर्जा विकेन्द्रित मॉडल है। एक गाँव, एक कस्बा, एक घर भी ऊर्जा उत्पादक बन सकता है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा केवल तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि ऊर्जा लोकतंत्र की बुनियाद है। यह स्थानीय रोज़गार पैदा करती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और नागरिकों को उपभोक्ता से उत्पादक बनने का अवसर देती है।

इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति निर्णायक है। भारत एक ओर सौर ऊर्जा में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के ज़रिए भारत ने वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई है। सौर और पवन क्षमता में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियाँ भारत के लिए एक नए ऊर्जा भविष्य के द्वार खोल रही हैं।

दूसरी ओर भारत आज भी परमाणु ऊर्जा को रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखता है। नए परमाणु संयंत्रों की योजनाएँ बनी हुई हैं, जबकि वे अत्यधिक महँगे, समय-साध्य और जोखिमपूर्ण हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ ऊर्जा का सवाल सामाजिक न्याय से जुड़ा है, यह एक गंभीर नीति-विरोधाभास है।

क्या भारत की ऊर्जा नीति कुछ गिने-चुने बड़े परियोजनाओं पर आधारित होगी, या वह गाँव-गाँव और घर-घर ऊर्जा पहुँचाने का साधन बनेगी? क्या ऊर्जा सत्ता के केंद्रीकरण का औज़ार होगी, या लोकतंत्र के विस्तार का माध्यम? अक्षय ऊर्जा इन सवालों का व्यावहारिक उत्तर देती है। यह कम लागत में अधिक बिजली देती है। स्थानीय समुदायों को सशक्त करती है, वही पर्यावरणीय न्याय को मजबूत भी करती है। साथ ही जलवायु संकट के समाधान में अधिक कारगर है।

परमाणु ऊर्जा इसके विपरित है। यह महँगी और सुरक्षा जोखिम पैदा करती है। यह सैन्य और राजनीतिक तनाव से जुड़ी रहती है। परमाणु ऊर्जा का संकट केवल तकनीकी नहीं, वैचारिक है। यह उस सोच की विफलता है जो मानती थी कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए विशाल, केंद्रीकृत और जोखिमपूर्ण तकनीकों की ज़रूरत है।

भारत के सामने आज ऐतिहासिक अवसर है। वह या तो परमाणु ऊर्जा के बीसवीं सदी के मॉडल से चिपका रहे, या इक्कीसवीं सदी के अक्षय ऊर्जा मॉडल का नेतृत्व करे। परमाणु ऊर्जा बीते युग की शक्ति-राजनीति का प्रतीक है। अक्षय ऊर्जा आने वाले युग की नैतिकता और लोकतंत्र का। दुनिया के आँकड़े, युद्ध के अनुभव और तकनीकी रुझान तीनों एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं भविष्य परमाणु का नहीं, अक्षय ऊर्जा का है। अगर दुनिया भविष्य को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना चाहती है, तो उसे परमाणु ऊर्जा के भ्रम से बाहर निकलकर नवीकरणीय ऊर्जा की वास्तविकता को अपनाना होगा।

कृष्ण अर्जुन संवाद: जीवन का सत्य

सोशल मीडिया मंच से

हीरानंद आनंदानी

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या आप अपनी सफलता का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं? आपकी सफलता सिर्फ़ आपके प्रयासों का नतीजा नहीं है, यह कई अन्य कारकों और सहायक प्रणालियों का संयोजन है।

जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था, तब अर्जुन और कर्ण एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह देखने लायक युद्ध था। तीरों की बौछार हो रही थी और देवता भी दो योद्धाओं के बीच इस महायुद्ध को देख रहे थे।

अर्जुन अपने बाणों को चलाता और इन बाणों का प्रभाव इतना तीव्र होता कि कर्ण का रथ 25-30 फीट पीछे चला जाता। यह देखने वाले लोग अर्जुन के कौशल से चकित रह जाते थे।

कर्ण भी कम नहीं था। जब वह बाण चलाता तो अर्जुन का रथ भी हिल जाता और तीन-चार फीट पीछे चला जाता।

हर बार जब अर्जुन का रथ कर्ण के बाण से टकराता तो कृष्ण सबसे ज़्यादा उसकी सराहना करते, लेकिन एक बार भी उन्होंने अर्जुन की कुशलता की सराहना नहीं की।

दिन के अंत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा: हे प्रभु, मैंने कर्ण के रथ पर इतने बाण मारे हैं कि वह हवा में पंख की तरह हिल रहा था, लेकिन आपने एक बार भी मेरी सराहना नहीं की। बल्कि आप कर्ण के कौशल की सराहना करेंगे, भले ही उसके बाणों ने मेरे रथ को थोड़ा सा ही विस्थापित किया हो।

कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया : अर्जुन! याद रखो, तुम्हारे रथ की रक्षा तुम्हारे ध्वज पर सबसे ऊपर 'हनुमानजी' कर रहे हैं; तुम्हारे आगे सारथी के रूप में 'मैं' हूँ और उसके पहियों पर 'शेषनाग' हैं, फिर भी जब भी वीर कर्ण हमें अपने बाणों से मारता है, तो पूरा रथ डगमगा जाता है और विस्थापित हो जाता है, लेकिन कर्ण के रथ की रक्षा ऐसी किसी शक्ति द्वारा नहीं की जाती। वह अकेला है फिर भी वह वीरतापूर्वक लड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन के उतरने तक रथ से उतरने से इनकार कर दिया। जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, उसमें आग लग गई और वह धूल में मिल गया। और तब समापन स्वरूप कृष्ण ने कहा : हे अर्जुन! तुम्हारा रथ बहुत समय पहले कर्ण द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मैं अभी भी इसकी रक्षा कर रहा था। इसलिये अपने जीवन में कभी भी यह कहने का अहंकार मत करो कि तुमने महान ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। यदि तुमने कुछ हासिल किया है, तो यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप ही है जिसने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया है और तुम्हें सही समय पर सही अवसर दिए हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

एक ही बात की चर्चा है कि सिलेंडर बुक हुआ कि नहीं?

व्यंग्य

अंशु प्रधान

लेखक व्यंग्यकार हैं।

दुनिया भर में अमेरिका इज़रायल और ईरान युद्ध की चर्चा है लेकिन हमारे देश में सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही बात की चर्चा है कि सिलेंडर बुक हुआ कि नहीं। किसे सिलेंडर मिला और किसे नहीं ! लोग एकदूसरे का हाल- चाल भी आजकल इस तरह ले रहे हैं- सुनों ! तुम्हें सिलेंडर मिल गया कि नहीं। कितने का मिला? कितने दिन की गैस अभी और बची है। पिछली बार सिलेंडर कब बुक करवाया था। घर में इंडक्शन चूल्हा है कि नहीं? चूल्हा अगर है भी तो क्या इंडक्शन के बर्तन घर में हैं या नहीं?

दूसरी तरफ सिलेंडर के साथ ही अपने और पराये की परिभाषा भी बदल गयी है। इसलिए मेहमानों और पड़ोसियों की अलग आफत है।अब पड़ोसी के अच्छे या बुरे होने की पुष्टि सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो सिलेंडर देगा या नहीं। अगर पड़ोसी ने सिलेंडर उधार दिया तो वह अच्छा पड़ोसी है नहीं तो व्यवहार रखने के लायक तक नहीं। बताइए एक सिलेंडर ने क्या- क्या नहीं दिखा दिया अपने और पराये का भेद तक समझा दिया। अब बारी आती है प्रेम और सौहार्द की,किसी ने कहा

क्या प्रेम और सौहार्द्र ये कुछ नहीं। बस सिलेंडर ही सबकुछ है कहने का मतलब है कि क्या ज़रूरत ही सब कुछ है और फिर रिश्तेदारी, वो। रिश्तेदारों की भी अलग ही कहानी है। आजकल अगर कोई किसी के घर भूल से भी चला जाये तब घर के लोग यही कहते हैं, बस चार- छह दिन की गैस और बची है हमारे यहाँ, दूसरा सिलेंडर तो पहले से ही खाली है। चूल्हे पर खाना बना नहीं सकते हमें खांसी की शिकायत है। यहाँ तक कि हाल ये है कि घरों में मेहमानों के आने की बात होते ही जैसे खतरे का सायरन बज उठता है सबके मुंह से एक ही बात निकलती है सुनो। सिलेंडर है कि नहीं। अगर उनके आने से सिलेंडर खत्म हो गया तो! भैया कह दो अभी न आएं सिलेंडर की बड़ी मारामारी है। एक बेचारे सिलेंडर की खातिर पड़ोसी ही नहीं रिश्ते तक पहचाने गए।

उधर शादी- ब्याह वालों की अलग टेंशन है। पहले टेंशन होती थी सही हलवाई न मिला तो क्या होगा,इज़्ज़त चली जायेगी कि खाना तक ढंका न मिला और अब टेंशन है अगर सिलेंडर न मिला तो। वहीं अच्छे खासे बने बनाये रिश्ते आजकल टूटने की कगार पर हैं। कहीं इस बात पर जोर है कि आपकी बेटी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है या नहीं और कहीं जोर इस बात पर है हमारी पढ़ी लिखी बेटी आपके घर चूल्हे पर खाना क्यों बनाएगी। आपकी हैसियत तो ब्लैक में सिलेंडर लेने तक कि नहीं है। वड़े आये लड़की लेने।हम अपनी बेटी की शादी वही करेंगे जहां घर में पहले से ही भरे हुए तीन सिलेंडर हों।

दिक्कत यहां तक ही नहीं है जिन घरों में गैस को किनारे रखकर चूल्हे पर रोटी बनाने का इंतजाम कर भी दिया गया है वहां भी नया युद्ध छिड़ गया है। अगर घर में सास और बहू हैं वहां तक तो तब भी ठीक ही है मगर उन घरों में जहां दो बहुएं हैं वहां सारा दिन बस यही ठनी रहनी है कि चूल्हे पर खाना सुबह कौन बनाएगा और शाम को कौन। बर्तन कौन साफ करेगा और बर्तन जलाएगा कौन! अच्छी सिकी रोटियां किसे देनी हैं और जली हुई रोटियां खायेगा कौन।

बर्तन में ज्यादा साबुन कौन घिसेग और सास को मक्खन लगाएगा कौन। कौन चूल्हा जलाएगा,बर्तन माजेगा और घर में आग लगाएगा कौन।

देश दुनिया एक तरफ और हम हिंदुस्तानियों की घरेलू पंचायत एक तरफ। दुनिया में युद्ध होते हैं बम फूटते हैं और हमारे घरों में सिर फूटते हैं वो भी इसलिए कि आज रोटी कौन बनाएगा, अपनी-अपनी मजबूरियाँ। क्या कर सकते हैं।

ऊपर से कुछ लोग आजकल पूछ रहे हैं कि गैस खत्म हो गई क्या करें ? बहुत से लोग उन्हें जबाव दे रहे हैं कि नाले की गैस से काम चलाओ। इन्हीं सब के बीच हमारे देश में आपदा में अवसर तलाशने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ बुजुर्ग इसलिए खुश हैं कि चलो,बड़े दिनों के बाद चूल्हे की रोटी तो खाने को मिली। सबसे ज्यादा दुख के दिन तो उन रील बनाने वाली सुकुमारी बालाओं के आ गए हैं जिन्हें अब सच मे ही चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं लड़े कोई,भरे कोई और मरे कोई।

धर्म से अलग सुरक्षा देता है भरण-पोषण कानून

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया था, जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया है या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया है। यह इनके अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिये प्रावधान करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो धर्म के बावजूद सभी पर लागू होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण का अधिकार व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों से नकारा नहीं जाता।

सर्वोच्च न्यायालय ने भरण-पोषण के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति के नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह उसके वेतन से हर महीने पच्चीस हजार रुपये काटकर सीधे उसकी अलग रह रही पत्नी के बैंक खाते में जमा करे। यह राशि पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए दी जाएगी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने यह पाया कि पति पहले दिए गए अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। पति ने 2022 से अलग रहने के बावजूद उसने पत्नी और बच्ची के लिए कोई भरण-पोषण राशि नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दंपति की चार साल की एक बेटी है। इसकी देखभाल पूरी तरह मां कर रही है। खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि पिछले चार वर्षों में पति ने न तो बच्ची के पालन-पोषण में कोई योगदान दिया और न उससे मिलने का प्रयास किया। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा था। विवाह समाप्त करने के लिए एकमुश्त समझौते की संभावना तलाशने को भी कहा गया था। अंतरिम व्यवस्था के रूप में पति को पत्नी और बच्ची के मध्यस्थता में आने-जाने के खर्च के लिए पच्चीस हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। लेकिन अदालत ने पाया कि उसने उस आदेश का भी पालन नहीं किया।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सन् 2024 में मजिस्ट्रेट अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण का आदेश पारित किया। लेकिन पति ने उसका भी पालन नहीं किया। आदेश के बाद लगभग 1.38 लाख रुपये की बकाया राशि जमा हो गई थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पति द्वारा दाखिल आर्थिक स्थिति के हलफनामे की भी जांच की। उसमें उसने दावा किया कि उसकी मासिक आय पचास हजार रुपये है और वह आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अदालत ने उससे पूछा कि क्या वह बकाया सहित 2.5 लाख रुपये जमा करने को तैयार है, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। इसलिए प्रतिवादी पति के नियोक्ता को निर्देश दिया जाता है कि उसके वेतन से हर महीने 25 हजार रुपये काटे जाएं और यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे पत्नी के खाते में भेजी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से नाबालिग बच्ची के हितों को लेकर चिंता व्यक्त की। अदालत ने नोट किया कि बच्ची की परवरिश मां अकेले कर रही है। पत्नी पिता के निधन के बाद वह फिलहाल अपने चाचा के घर रह रही है। अदालत ने इस मामले को आदेश के अनुपालन की जानकारी के लिए अप्रैल में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

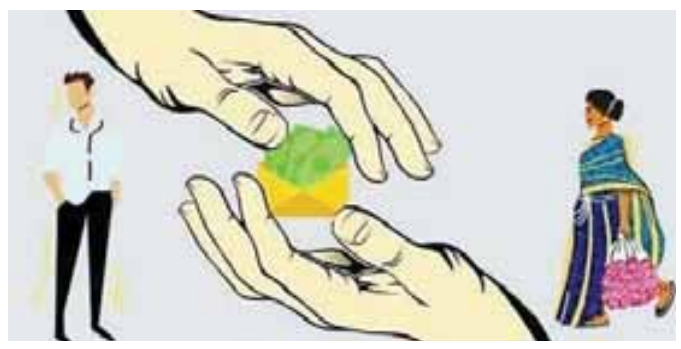

भारत में भरण-पोषण एवं इसे लागू करने के लिये नियम व कानूनी प्रावधान है। भारत में हर समुदाय के लिये वैवाहिक जीवन के अलग कानून है। हिन्दुओं के लिये हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 है। वहीं मुस्लिमों के लिये उनके व्यक्तिगत कानून का उपयोग किया जाता है। हालांकि उक्त मामले में संसद द्वारा मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 भी पारित किया गया है। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया था, जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया है या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया है। यह इनके अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिये प्रावधान करता है। यह अधिनियम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 के मामले का जवाब था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो धर्म के बावजूद सभी पर लागू होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण का अधिकार व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों से नकारा नहीं जाता है।

नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में यह धारा 144 है। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार है, जिसका भुगतान इद्दत अवधि के भीतर किया जाना चाहिये। इद्दत एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है, जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले मनाना होता है। इस अधिनियम में महर (मेहर) का भुगतान और शादी के समय महिला को दी गई संपत्ति की वापसी भी शामिल है। यह तलाकशुदा महिला और उसके पूर्व पति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। यदि वे आवेदन की पहली सुनवाई में इस आशय की संयुक्त या अलग घोषणा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने डेनियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 2001 में अपने फैसले में 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि इसके प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसने मुस्लिम महिलाओं को इद्दत अवधि के बाद पुनर्विवाह करने तक भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। शबाना बानो बनाम इमरान खान केस, 2009 सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। यहाँ तक कि इद्दत अवधि के बाद भी, जब तक कि वे दोबारा शादी न कर लें। इस फैसले ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धर्म के बावजूद लागू होता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अनुसार प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति को निम्नलिखित के भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। यदि उसकी पत्नी स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। उसका वैध या नाजायज वयस्क बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं या चोटों से ग्रस्त हो, जो उसे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ बनाती हैं। यदि उसके पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 न केवल विवाहित स्त्रियों अपितु सभी स्त्रियों पर लागू होती है। उसने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने विधिक समता सुनिश्चित करते हुए और संविधान के समता एवं गैर-भेदभाव की गारंटी का संरक्षण करते हुए विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकारों की पुष्टि की।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि मुस्लिम स्त्रियाँ 1986 के अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं। न्यायालय ने कहा कि 1986 के अधिनियम की धारा 3, जो एक सर्वोपरि खंड से शुरू होती है, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को प्रतिबंधित करने के बजाय एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरुषों के लिये अपनी पत्नियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनके पास स्वतंत्र आय का अभाव है। इसने आर्थिक रूप से स्वतंत्र या नौकरीपेशा विवाहित महिलाओं और उन महिलाओं के बीच अंतर को उजागर किया, जो अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिये किसी भी साधन के बिना घर पर रहती हैं। न्यायालय ने पुष्टि की कि विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियाँ, जिनमें तीन तलाक (अब विधि-विरुद्ध) के माध्यम से तलाक लेने वाली स्त्रियां भी शामिल हैं, व्यक्तिगत कानून के बावजूद भी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं। तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है। साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध: समाधान या नई चुनौती?

मुद्दा

मनीषा मंजरी

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया की लत। आज यह एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है। बच्चे और किशोर कई-कई घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताने लगते हैं। धीरे-धीरे यह आदत उनकी पढ़ाई, एकाग्रता और दिनचर्या को प्रभावित करने लगती है। पहले जहाँ बच्चे मैदानों में खेलते थे, दोस्तों के साथ समय बिताते थे और प्रकृति के करीब रहते थे, वहीं अब उनका अधिकतर समय डिजिटल स्क्रीन के साथ गुजरने लगा है। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं, आँखों की समस्याएँ बढ़ रही हैं और मानसिक तनाव भी देखने को मिल रहा है।

आज का युग डिजिटल क्रान्ति का युग है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को इस कदर प्रभावित करके रखा है कि इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना कठिन सा लगता है। आज संवाद, जानकारी, मनोरंजन और अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया ही है। लेकिन जैसे-जैसे इसका प्रभाव बढ़ा है, वैसे-वैसे इसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं, विशेषकर बच्चों और किशोरों के जीवन में। हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा ने एक नई बहस को जन्म दिया है। यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना वास्तव में उनके हित में है, या फिर यह कदम उनके विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा।

यदि इस विषय के सकारात्मक पक्ष को देखा जाए, तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का सबसे प्रमुख तर्क उनकी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज बहुत कम उम्र के बच्चे भी मोबाइल फोन और इंटरनेट के संपर्क में आ जाते हैं। कई बार वे बिना किसी मार्गदर्शन के ऐसे वीडियो, पोस्ट या सामग्री देख लेते हैं जो उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं होती। हिंसा, नकारात्मकता, भ्रामक जानकारी और अशोभनीय सामग्री उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि क्या इतनी कम उम्र में उन्हें इस आभासी दुनिया से दूर नहीं रखा जाना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया की लत। आज यह एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है। बच्चे और किशोर कई-कई घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताने लगते हैं। धीरे-धीरे यह आदत उनकी पढ़ाई, एकाग्रता और दिनचर्या को प्रभावित करने लगती है। पहले जहाँ बच्चे मैदानों में खेलते थे, दोस्तों के साथ समय बिताते थे और प्रकृति के करीब रहते थे, वहीं अब उनका अधिकतर समय डिजिटल स्क्रीन के साथ गुजरने लगा है। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं, आँखों की समस्याएँ बढ़ रही हैं और मानसिक तनाव भी देखने को मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त साइबर बुलिंग भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर कई बच्चे मज़ाक, अपमान या ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। कम उम्र में ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कई बार बच्चे इन समस्याओं को अपने माता-पिता या शिक्षकों से साझा भी नहीं कर पाते, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कुछ हद तक नियंत्रण बच्चों को सुरक्षित रखने का एक प्रयास माना जा सकता है।

हालाँकि इस विषय का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भी सच है कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और रचनात्मकता का भी एक बड़ा मंच बन चुका है। आज कई बच्चे और किशोर अपनी प्रतिभा को इसी मंच के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई कविता लिखता है, कोई चित्र बनाता है, कोई संगीत या नृत्य के माध्यम से अपनी कला दिखाता है, तो कोई शिक्षा और विज्ञान से जुड़ी जानकारी साझा करता है। ऐसे में यदि सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो कई संभावनाएँ सीमित हो सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया बच्चों को वैश्विक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। वे विभिन्न देशों, संस्कृतियों और विचारों से परिचित होते हैं। इससे उनकी सोच का दायरा विस्तृत होता है और वे दुनिया को एक व्यापक नजरिए से समझने लगते हैं। यदि सही दिशा और मार्गदर्शन मिले, तो सोशल मीडिया सीखने और जागरूकता का एक प्रभावशाली साधन बन सकता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या केवल प्रतिबंध ही समाधान है? इतिहास और समाज दोनों यह बताते हैं कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्याएँ हमेशा समाप्त नहीं होतीं। कई बार इससे जिज्ञासा और बढ़ जाती है और लोग किसी न किसी तरीके से नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय को संतुलित और व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए। शायद अधिक उचित मार्ग यह होगा कि बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर करने के बजाय उन्हें इसके जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग के लिए तैयार किया जाए। माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया जाए और उन्हें यह समझाया जाए कि इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार सकारात्मक और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है, तो वे स्वयं भी इसके दुष्प्रभावों से बचने का प्रयास करेंगे।

डिजिटल साक्षरता भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। स्कूलों में बच्चों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन व्यवहार और डिजिटल जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यदि उन्हें यह समझाया जाए कि इंटरनेट पर क्या साझा करना चाहिए और क्या नहीं, तथा किस प्रकार अपनी निजता और सुरक्षा को बनाए रखना है, तो वे अधिक जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। साथ ही माता-पिता को भी बच्चों के साथ समय बिताने और उनके ऑनलाइन व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग इसलिए अधिक करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक जीवन में संवाद और मार्गदर्शन की कमी महसूस होती है। यदि परिवार में संवाद का वातावरण हो और बच्चों को अपने विचार साझा करने का अवसर मिले, तो वे आभासी दुनिया पर अत्यधिक निर्भर नहीं होंगे।

सोशल मीडिया स्वयं में न तो पूर्णतः अच्छा है और न ही पूर्णतः बुरा। यह एक साधन है, जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार उनके संरक्षण की भावना से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उन्हें तकनीक से पूरी तरह अलग न किया जाए। समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली को मिलकर ऐसा संतुलित वातावरण तैयार करना होगा जहाँ बच्चे तकनीक का उपयोग समझदारी, संयम और जिम्मेदारी के साथ कर सकें। तभी हम उन्हें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा पाएँगे जहाँ वे डिजिटल दुनिया का हिस्सा भी हों और उससे प्रभावित हुए बिना अपनी वास्तविक दुनिया की संवेदनाओं, संबंधों और अनुभवों को भी सहेज कर रख सकें। इस प्रकार बच्चों और सोशल मीडिया के संबंध को समझने के लिए हमें केवल प्रतिबंध या स्वतंत्रता की दो सीमाओं के बीच नहीं, बल्कि संतुलन, जागरूकता और जिम्मेदारी के मार्ग पर विचार करना होगा। यही मार्ग आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे सुरक्षित, सार्थक और दूरदर्शी साबित हो सकता है।

पहले सुंदर बनो, फिर कुछ और

विचार

सत्य प्रकाश नायक

लेखक सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते हैं।

क्या सुंदरता सचमुच कोई प्राकृतिक और शाश्वत सत्य है? या यह समय, समाज और सत्ता द्वारा गढ़ा गया एक विचार है?

इतिहास बताता है कि अलग-अलग समय और स्थानों पर सुंदरता के पैमाने बिल्कुल अलग रहे हैं। यूरोप में एक समय पतली कमर को स्त्री-सौंदर्य का आदर्श माना गया और कॉर्सेट इतने कसकर पहने जाते थे कि स्त्रियों को साँस लेने में कठिनाई होने लगती थी। चिकित्सा इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि लंबे समय तक कॉर्सेट पहनने से साँस लेने में समस्या, पाचन संबंधी दिक्कतें और पसलियों के आकार तक में बदलाव देखे गए। चीन में सदियों तक छोटे पैरों को सुंदरता, शिष्टता और विवाह-योग्यता से जोड़ा गया; बच्चियों के पैरों को बचपन से ही कसकर बाँधा जाता था ताकि वे छोटे बने रहें। इतिहासकार डोरोथी को के शोध बताते हैं कि इस प्रथा ने लाखों स्त्रियों की गतिशीलता सीमित कर दी।

दुनिया के कुछ हिस्सों में सुंदरता का अर्थ भरा-पूरा शरीर रहा है। अफ्रीका के कई समुदायों में शरीर पर बने विशेष चिह्न, अलंकरण या आभूषण सुंदरता और पहचान का हिस्सा रहे हैं। भारत में भी समय और क्षेत्र के अनुसार सुंदरता के मानक बदलते रहे हैंकहीं गोरी त्वचा को सुंदरता का प्रतीक माना गया, कहीं बड़ी आँखों और लंबे बालों को, कहीं पतले शरीर को आधुनिक आकर्षण का संकेत बनाया गया, तो कहीं भरे-पूरे शरीर को स्वास्थ्य और समृद्धि से जोड़ा गया। औपनिवेशिक दौर और उसके बाद के विज्ञापन इतिहास पर हुए अध्ययनों से यह भी सामने आता है कि गोरी त्वचा को वरीयता देने वाली प्रवृत्तियाँ आधुनिक बाज़ार और उपनिवेशवादी सौंदर्य-राजनीति से भी जुड़ी रहीं।

इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ़ होती हैसुंदरता कोई स्थायी सत्य नहीं है। वह समय, समाज और संस्कृति के साथ बदलती रहती है। लेकिन इन मानकों के अनुसार खुद को ढालने का सबसे अधिक दबाव लगभग हर समाज में स्त्रियों पर ही पड़ा है। धीरे-धीरे यह दबाव इतना सामान्य बना दिया जाता है कि वह नियम जैसा लगने लगता है।

पहले सुंदर बनो, फिर कुछ औरलड़कियों को बहुत कम बार यह साफ़-साफ़ कहा जाता है कि इस दुनिया में उनकी समझ, मेहनत, प्रतिभा, जिज्ञासा और नैतिकता से पहले उनका चेहरा पढ़ा जाएगा। लेकिन यह बात उन्हें इतने साधारण वाक्यों में, इतनी कम उम्र से और इतनी नियमितता से सिखाई जाती है कि वह धीरे-धीरे एक सामाजिक सच जैसी लगने लगती है।

कई घरों में यह शिक्षा डाँट की तरह नहीं, सलाह की तरह आती है। धूप में कम खेलो, रंग दब जाएगा। बाल ठीक रखो। ज़रा सलीके से बैठो। लड़की हो, अपने ऊपर ध्यान देना सीखो। ऐसे ही जाओगी क्या, थोड़ा तैयार हो लो। इन वाक्यों में कोई एक बड़ा अत्याचार दिखाई नहीं देता, पर इन्हीं से वह लंबी मानसिक रचना शुरू होती है जिसमें लड़की अपने आप को व्यक्ति से पहले प्रस्तुति के रूप में देखना सीखती है।

यही वह जगह है जहाँ सुंदरता पसंद नहीं रहती, वह एक सामाजिक अभ्यास में बदल जाती है। लड़की को केवल पढ़ना, काम करना, विनम्र रहना और संबंध निभाना ही नहीं सिखाया जाता, उसे अपने चेहरे, त्वचा, बाल, चाल, देह, कपड़ों और गंध तक पर चौकन्ना रहना भी सिखाया जाता है। बहुत-सी लड़कियाँ बहुत जल्दी सीख जाती हैं कि उन्हें कमरे में मौजूद होने भर से काम नहीं चलेगा; उन्हें 'ढंग से' मौजूद होना होगा। यह ढंग कोई निजी खोज नहीं होता; उसे परिवार, विद्यालय, बाज़ार, परदा, साथियों की राय और अब सामाजिक माध्यम मिलकर गढ़ते हैं।

देह-छवि पर हुए समकालीन अध्ययनों ने भी यही दिखाया है कि साथियों का दबाव, पारिवारिक टिप्पणी, मीडिया और विद्यालयी वातावरण मिलकर युवाओं की देह-धारणा बनाते हैं। ब्रिटेन की मेंटल हेल्थ फ़ाउंडेशन की रिपोर्ट में पाया गया कि 54 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि सामाजिक माध्यमों की छवियों ने उन्हें अपने शरीर को लेकर चिंतित किया। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा 2023 में प्रकाशित विश्लेषणों में संकेत मिला कि सामाजिक माध्यमों का उपयोग सीमित करने पर किशोरों और युवाओं में अपने रूप और वज़न को लेकर बेहतर महसूस करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

यह दबाव हमेशा बड़े वाक्यों में नहीं आता। वह अक्सर घर, गली, दफ़्तर, रिश्तेदारी और मित्रताओं की रोज़मर्रा की आवाज़ों में आता है। अरे, आज तुम तैयार क्यों नहीं हुई। अरे, आज तुम तैयार होकर क्यों आई हो। अरे, यहाँ इतना तैयार नहीं होना था। इन वाक्यों को सुनते-सुनते लड़की समझने लगती है कि उसके लिए कोई भी रूप पूरी तरह सही नहीं है। कम सजे तो सवाल, ज़्यादा सजे तो सवाल, अपने ढंग से सजे तो भी सवाल।

मनोविज्ञान में इस अनुभव को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ दी गई हैं। उनमें से एक है स्व-वस्तुकरण (Self-Objectification)। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं को एक जीवित अनुभव की तरह नहीं, बल्कि दूसरों की नज़र से देखी जाने वाली वस्तु की तरह देखने लगता है। इसके साथ जुड़ी होती है देह-निगरानी (Body Surveillance)यानी लगातार यह देखना कि हम कैसे दिख रहे हैं। इससे रूप-संबंधी चिंता (Appearance An&iety) बढ़ती है और व्यक्ति दूसरों से लगातार अपनी तुलना करने लगता है, जिसे मनोविज्ञान में सामाजिक तुलना (Social Comparison) कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं पर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बारबरा फ्रेडरिकसन और टोमी-ऐन रॉबर्ट्स के प्रसिद्ध 'ऑब्जेक्टिफिकेशन सिद्धांत' में विस्तार से चर्चा की गई है।

धीरे-धीरे लड़की अपने शरीर को अपना शरीर नहीं, एक परियोजना की तरह देखने लगती है। त्वचा ठीक करनी है, बाल ठीक करने हैं, दाग़ छिपाने हैं, भौंहें सँवारनी हैं, ऊपरी होंठ साफ़ करना है, बगलें और टाँगें मुलायम रखनी हैं, वज़न नियंत्रित करना है, मुस्कान तक को साधना है। उसे अक्सर यह नहीं सिखाया जाता कि आत्मविश्वास ज्ञान, निर्णय-क्षमता और अनुभव से भी पैदा होता है; उसे बार-बार यह बताया जाता है कि अच्छा दिखोगी तो अच्छा महसूस करोगी।

यहीं बाज़ार अपना सबसे चतुर काम शुरू करता है। वह स्त्री से यह नहीं कहता कि तुम गलत हो; वह उससे कहता है कि तुम और बेहतर हो सकती हो। त्वचा थोड़ी और निखर सकती है, बाल थोड़े और मुलायम हो सकते हैं, उम्र थोड़ी और छिप सकती है। यह भाषा सुनने में प्रेरक लगती है, पर उसका पूरा ढाँचा एक स्थायी कमी पर टिका होता है। पहले असंतोष जगाइए, फिर उसका उपचार बेचिए, और फिर उस उपचार को आत्म-देखभाल कह दीजिए। यही आधुनिक सौंदर्य-बाज़ार का मूल व्याकरण है।

आर्थिक स्तर पर भी यह एक विशाल उद्योग है। परामर्श संस्था मैकिन्सी के अनुसार वैश्विक सौंदर्य उद्योग का आकार लगभग 450 अरब डॉलर के आसपास है और 2030 तक इसके लगातार बढ़ने की संभावना है। दूसरे शब्दों में, यह केवल क्रीम और शीशियों का कारोबार नहीं, बल्कि आकांक्षा, तुलना और असुरक्षा पर टिका हुआ एक विशाल बाज़ार है।

लेकिन यह कहना भी अधूरा होगा कि श्रृंगार केवल जाल है। बहुत-सी स्त्रियों के लिए सजना सचमुच आनंद का अनुभव है। बिंदी, काजल, चूड़ी, साड़ी, इत्र, मेहँदी, गजराइन सबमें स्मृति है, संस्कृति है, उत्सव है और आत्म-अभिव्यक्ति भी है। प्रश्न यह नहीं कि स्त्रियाँ सजती क्यों हैं; प्रश्न यह है कि कब यह आनंद एक ऐसी अनिवार्यता में बदल जाता है जिसके बिना उन्हें कम योग्य, कम सुसंस्कृत या कम विश्वसनीय माना जाने लगता है।

यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है। समाज स्त्री से सुसज्जित रहने की अपेक्षा करता है, पर यदि कोई पुरुष मेकअप कर ले या अपने रूप को सँवारने में रुचि दिखाए, तो वह अक्सर हँसी और उपहास का विषय बन जाता है। यह विरोधाभास दिखाता है कि सुंदरता केवल सौंदर्य का विषय नहीं है; यह लिंग-भूमिकाओं का सामाजिक अनुशासन भी है।

रूप-संबंधी टिप्पणियों का एक बड़ा हिस्सा मज़ाक के रूप में आता हैमूँछ दिख रही है, चेहरा देखो, लड़की होकर ऐसे। ये वाक्य सीधे चोट नहीं करते, पर मन में एक स्थायी पहरा बैठा देते हैं। व्यक्ति हर समय खुद को जाँचने लगता है। वह बोलने से पहले चेहरा देखता है, बाहर जाने से पहले बाल देखता है, और कमरे में प्रवेश करते ही यह सोचता है कि लोग उसे कैसे देख रहे होंगे।

इस हमले का चरम रूप वह हिंसा है जिसमें स्त्री के चेहरे को ही निशाना बनाया जाता है। तेज़ाब हमला केवल शारीरिक हिंसा नहीं; वह चेहरे, पहचान और सामाजिक जीवन पर हमला है। भारत की दंड-विधि की धारा 326 तेज़ाब से स्थायी या आंशिक क्षति पहुँचाने को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध मानती है। यह संयोग नहीं कि ऐसी हिंसा में चेहरा निशाना बनता है, क्योंकि समाज ने स्त्री का सामाजिक मूल्य लंबे समय तक उसके चेहरे और रूप से बाँध रखा है।

इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि स्त्रियाँ सजती क्यों हैं। असली प्रश्न यह है कि उन्हें और क्या-क्या होकर जीने दिया जाता है। क्या वे बिना श्रृंगार के भी सक्षम मानी जाती हैं। क्या साधारण दिखने का अधिकार भी उन्हें उतना ही सहज रूप से प्राप्त है।

सच्ची आज़ादी का अर्थ केवल यह नहीं कि स्त्री को सजने की अनुमति हो। सच्ची आज़ादी का अर्थ यह है कि उसे बिना सजे भी कमतर न आँका जाए। वह चाहे तो श्रृंगार में आनंद पाए, चाहे तो उससे दूरी रखे। उसकी गरिमा, बुद्धि, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्य उसके रूप-प्रबंधन पर निर्भर न हों।

और अंत में बात बस इतनी है

लड़कियों को सुंदर बनने की नहीं, बिना सुंदर ठहराए भी पूरी तरह मनुष्य माने जाने की ज़रूरत है।

नकली इनकम टैक्स अधिकारी बन कर देते थे डकैती को अंजाम, धार पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार

धार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.35 करोड़ का माल जब्त

धार। धार पुलिस ने नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का लूटा गया माल बरामद हुआ है।

यह खुलासा बाग थाना क्षेत्र में हुई वारदात के बाद हुआ। 13 मार्च 2026 को ब्राह्मण मोहल्ला निवासी राजकुमार मालवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे अज्ञात बदमाश नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके घर पहुंचे और परिवार को बंधक बनाकर सोने के आभूषण व नगदी लूटकर फरार हो गए।

जांच में सामने आया कि इसी तरह की एक वारदात 12 मार्च को खंडवा जिले के नर्मदानगर थाना क्षेत्र के ग्राम पामाखेड़ी में भी अंजाम दी गई थी।

विशेष टीमों ने रणनीति बना कर पकड़ा गिरोह..- वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बनाई गई विशेष टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, साइबर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में आबिद, अय्यूब शाह, दिनेश, दिलीप, शहजाद, रमेश, राजा उर्फ अब्दुल गफ्फार और नरसिंह शामिल हैं। मुख्य आरोपी संजीव शर्मा बताया गया।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से भारी मात्रा में लूटा गया माल जब्त किया। इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 20 लाख रुपए का स्कॉर्पियो वाहन, 10 लाख रुपए का अर्टिगा वाहन और लगभग 57 हजार रुपए नगद शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 35 लाख 57 हजार रुपए का माल बरामद हुआ।

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह के 6 सदस्य अभी भी फरार हैं। आरोपियों से पूछताछ में प्रदेश के अन्य जिलों में की गई वारदातों की भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने और और बड़े खुलासे करने में लगी है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर ग्रामीण जोन इन्दौर अनुराग (भा.पु.से.), उपमहानिरीक्षक इन्दौर ग्रामीण जोन इन्दौर मनोज कुमार सिंह (भा.पु.से.)., उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार विजय डावर के नेतृत्व में सीसीटीव्ही, सायबर एवं तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिये अलग- अलग टीमों का गठन किया गया था । नगर पुलिस अधीक्षक धार सुजावल जग्गा (भा.पु.से.),अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुशी सुनिल गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्रजेश मालवीय , जिले के थाना प्रभारियों व सायबर सेल धार टीम को आरोपियो की धर-पकड़ व उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी तरह की वारदात 12 मार्च 2026 को ग्राम पामाखेड़ी थाना नर्मदानगर जिला खण्डवा में भी अंजाम दिया जाना पाया गया, खण्डवा से सम्पर्क कर घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों के सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त कर जिला धार एवं जिला खण्डवा की संयुक्त टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न जिलों में भेजा गया था ।

पुलिस जाँच में पता चला कि देवास निवासी नरसिंह बघेल जो मूल रुप से डही का रहने वाला हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति का होकर बाग, मनावर में लगातार आना जाना करता रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती दिनेश पिता रुखड़िया निवासी मनावर व रमेश मोरी निवासी बाग से हो गई उसने अपने साथियों का प्लान दोनो को बताया ओर इस क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायियों की जानकारी देने के लिये बोला इस पर दिनेश के द्वारा अपने साथी आबिद ओर अय्युब से बात की ओर नकली इनकम टैक्स,सीबीआई पुलिस की टीम हैं जिसकी रेड डालकर हम लोग डकैती की घटना करेंगे ओर पीड़ित इसकी सूचना डर के कारण किसी को नही देगा, जिससे हमे बड़ा फायदा होगा। हम लोग अपने क्षेत्र में ऐसे पैसे वाले लोगो की जानकारी नरसिंह को देंगे । दिनेश ने अपने साथी अय्युब शाह निवासी मनावर व आबिद पेंटर निवासी बाग के माध्यम से फरियादी राजकुमार मालवीय के घर सोना एवं पैसा होने की जानकारी नरसिंह ओर दिलीप को दी, जिसके बाद नरसिंह द्वारा अपने साथी शहजाद को उक्त बाते बताई गई व शहजाद द्वारा प्लानिंग कर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उक्त घटना को घटित किया गया था।

- सनसनीखेज घटना का 48 घण्टे में खुलासा

- थाना बाग क्षेत्रान्तर्गत नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली महत्वपूर्ण सफलता

- घटना में लूटे गये आभूषण , नगदी, घटना में प्रयुक्त वाहन सहित कुल कीमत एक करोड़ पैंतीस लाख सत्तावन हजार रुपए बरामद

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया भारत का प्रतिनिधित्व

न्यूयॉर्क से नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताते हुए किया भव्य स्वागत

धार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री एवं धार-महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद सावित्री ठाकुर जी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिला स्थिति आयोग के 70वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पहुंची थी ।

यह महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन का 5 दिवसीय आयोजन जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । इस अवसर पर एक बार फिर भारत सरकार की ओर से सावित्री ठाकुर ने वैश्विक मंच पर भारत की नीतियों, उपलब्धियों और प्रतिबद्धताओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया ।

इस पांच दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा से लौटने बाद प्रथम धार नगर आगमन पर उत्साहित कार्यकर्ताओं एवं समर्थको ने हर्ष जताते हुए उनका जोश के साथ स्वागत किया । नगरगमन पर सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री श्रीमती ठाकुर ने महाराजा भोज उद्यान पर राजाभोज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तत्पश्चात उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान एवं स्वागत किया । इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. शरद विजयवर्गीय,पूर्व जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, संजय शर्मा, कमल जेन मामा, राजेश डाबी, अनिल गेहलोत, कैलाश पिपलोदिया, राजेश चौहान, सोनिया राठौर, महेश बोडाने, सन्नी होड़ा, संदीप आर्य, पूनमचंद फकीरा, शांतिलाल शर्मा, देवांग पंवार, शैलेंद्र चौरसिया, लक्ष्मीनारायण नायक, लखन शर्मा, अभय वसुनिया, निलेश राठौर, हरीश आर्य , अनिल यादव ,भय्यूराम , जतिन मौर्य ,अर्पित पटोंदिया, राहुल परमार,नीलेश राठौर, अमन फकिरा,गोरव जाट, संतोष कुशवाह, रीमा राठौर, अनुसुइया वैष्णव, प्रज्ञा ठाकुर, आदि उपस्थित थे ।

जब गंतव्य स्थान पर पहुंचे राधा कृष्ण, मातृशक्ति भी करनी लगीं नृत्य

सोहागपुर। मां कर्मा जयंती का साहू समाज ने इस वर्ष उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित किया था। काली मंदिर से प्रारंभ शोभायात्रा जब अपने गंतव्य स्थान विवेकानन्द पब्लिक स्कूल परिसर पहुंची।तब शोभायात्रा में नृत्य करते छिन्दवाड़ा के कृष्ण एवं बनखेड़ी की राधा की जोड़ी जब पहुंची। इस अवसर पर मातृशक्ति भी अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं पाए। और कृष्ण राधा की जोड़ी के साथ नृत्य करने लगी। मां कर्मा जयंती के संबंध में रीतेश साहू एवं साहू समाज के अध्यक्ष भरत साहू ने बताया कि भक्त शिरोमणि माँ कर्मा की जयंतीभक्ति, त्याग और आस्था की प्रतीक मानी जाती हैं माँ कर्मा बचपन से ही भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त थीं। किंवदंतियां हैं कि वे प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान

कृष्ण को खिचड़ी भोग लगाती थीं।ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं उनकी खिचड़ी स्वीकार करते थे। इसी कारण है कि पर माँ कर्मा की जयंती पर खिचड़ी के प्रसाद का बनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ कर्मा माई ओडिशा के जगन्नाथ पुरी चली गईं। वहां भी भगवान जगन्नाथ (कृष्ण) के लिए रोज खिचड़ी बनाकर भोग लगाती थीं। माँ कर्मा की सच्ची भक्ति से जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग का विशेष महत्व है। साहू समाज की कुल देवी मां कर्मा को प्रेरणास्रोत मानता है। समाज को उनकी ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास,सेवा और त्याग,परिश्रम और ईमानदारी एवं समाज में एकता का संदेश मिलता है।। इसी कारण संम्पूर्ण भारत में साहू उनकी जयंती को सामाजिक एकता और श्रद्धा के पर्व के रूप में मनाई जाती है मां कर्मा जयंती के अवसर पर सोहागपुर के साहू समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे थे। इधर ग्राम शोभापुर में भी मां कर्मा जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिसमें राधा कृष्ण के पात्रों ने खूब जमकर नृत्य किया। शोभापुर ने सरपंच शोभायात्रा का स्वागत किया।इस अवसर पर शोभापुर ही नहीं आस-पास के क्षेत्रों के सजातीय बन्धु एवं मातृशक्ति उपस्थित थे।

अनजान फोन एवं मैसेज पर भरोसा न करें, सोहागपुर पुलिस ने फ्राड के दो मामले दर्ज किए

सोहागपुर। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सोहागपुर पुलिस एवं प्रशासन अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जागरुक कर रहे हैं ।परंतु फिर भी आमजन किसान छोटी सी गलती के कारण साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इसी प्रकार का एक प्रकरण सरदार वार्ड सोहागपुर निवासी ईश्वरसिंह पटेल के साथ हुआ ।उन्होंने इस आशय की शिकायत दर्ज कराई है। मै एवं परिजनों के नाम लगभग 100 एकड़ कृषि ग्राम रानीगोहन में स्थित है ।जिस पर गेहूं एवं चने की फसल बोई कीथी । फसल वर्तमान में पक कर कटाई योग्य है। शिकायतकर्ता के मोबाइल पर दिनांक 10 3.2026 को फोन आया कि आपको फसल की कटाई हेतु मजदूरों की आवश्यकता है। फरियादी द्वारा कहा गया हां है ।15,20 मजदूर लगेंगे लगभग19 हजार की राशि किराया एवं रास्ते का खर्च बताए गए मोबाइल पर डालने के लिए कहा गया । मजदूरों एवं अन्य लोगों के आधार इत्यादि की जानकारी के बाद 19 हजार रुपए की राशि मनोज कुमार निवासी भुवनेश्वर उड़ीसा को फोन पे के माध्यम से डाली गई ।दिनांक 12. 3.2026 को मनोज कुमार ने बताया गया कि आरपीएफ के द्वारा ट्रेन में मजदूरों के साथ गैस सिलेंडर आदि लाते समय पकड़े गए हैं ।पेनल्टी 50 हजार लग रही है ।तब सूरज छाबड़िया एवं अमित मंडलोई के फोन से पैसे भेजे गए ।जिसकी रेलवे पेनल्टी की रसीद भेजी गई। रसीद मोबाइल पर आने के बाद मोबाइल बंद हो गए ना कोई मजदूर आए कुल मिलाकर लगभग 90 रुपए की राशि आवेदक से फोन पर डलवाई गई ।बाद में ऐसा लगा कि साइबर फ्रॉड हुआ है । शिकायत की गई है ।नगर निरीक्षक उषा मरावी एवं एएसआई गणेश राय ने क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह किया है कि वर्तमान में फसल काटने हेतु मजदूर एवं कृषि उपकरण से संबंधित ऑफर जानकारी मोबाइल पर आ सकते हैं ।जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है किसी भी प्रकार बिना संतुष्टि के किसी भी खाते में रुपए जमा न करें ।इसी तरह का एक साइबर फ्रॉड शोभापुर के आजाद पिता नर्मदा प्रसाद गुर्जर निवासी सैकाखेड़ी के साथ लगभग 1लाख 83हजार का पिछले दिनों हुआ है जिसमें प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। सजग रहे सुरक्षित रहें। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल संबंधित थाना में सूचना के साथ 1930 पर शिकायत दर्ज करावे।

विख्यात फोर्सिथ रिसोर्ट के मैनेजर निपुण महतो वर्ल्ड लाइफ नेचरलिस्ट फैजान अंसारी गिरफ्तार, भेजा जेल

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। विश्व विख्यात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 44 एकड़ में फैले फोर्सिथ रिसोर्ट के मैनेजर निपुण महतो एवं लाइफ़ नेचुरलिस्ट फैजान अंसारी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को प्रथम श्रेणी तेजदीपसिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायाधीश ने 25 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश दिए हैं। दोनों वन प्राणियों के आरोपियों को पिपरिया जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि फोर्सिथ रिसोर्ट में वन अमले को कई वन्यजीव अवयव मिले थे। उस रिसोर्ट परिसर में चीतल के 4 सींग, सेही के 4 कांटे और सर्प की 2 कांचलियां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिस्प्ले में

रखी गई थी। चर्चा है कि अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने खाद्यान्न निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिबंधित डिस्प्ले में परोसी गई देखी थी। बाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई विभाग ने प्रतिबंधित डिस्प्ले सामग्री को जप्त कर लिया। इस प्रतिनिधि ने क्या एसडीएम की सूचना पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने मामला दर्ज किया था। एसडीएम प्रियंका भल्लावी को मोबाइल फोन किया था। लेकिन उनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया। यदि यह सही है कि एसडीएम की सूचना पर फोर्सिथ रिसोर्ट पर वन्य प्राणी के अव्यय जप्त किए थे। तो प्रश्न उठता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई का भारी-भरकम अमला एवं गस्ती दल क्या केवल कागजों में सिमटा हुआ है।या केवल राजनीतिक एवं वीवीआईपी की आवभगत एवं लगा रहता है? दूसरा बड़ा सवाल कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।जो देश ही नहीं विदेशों में विख्यात है । लेकिन एसडीओ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंकित जामोद जिनका स्थानांतरण सितम्बर या अक्टूबर में हो गया था। लेकिन यहां एसडीओ की नियुक्ति नहीं की गई है।। ऐसे संवेदनशील सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई को पिपरिया के आशीष खोबरागड़े को डबल चार्ज दे दिया गया था।वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई ने आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 1972 के तहत मामला दर्ज किया है। सन् 2002 जो नवीन अधिनियम जिसे एक अप्रैल 2023 में लागू किया गया था। जिसमें अंकित है कि वन्य जीव प्राणियों के श्रेणी एवं प्रायोगिता के आधार पर 3साल की सजा एवं अधिकतम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि विभाग को उक्त वन्य प्राणियों का स्तर छोटा लगा होगा। लेकिन पयर्टकों को लुभाने के लिए प्रदर्शन करना बड़ा जुर्म है। जिसे न्यायालय भी इन्कार नहीं कर सकता।

इस मामले में आरोपियों के अधिवक्ता प्रतीक तिवारी ने बताया कि हमने इस मामले में माननीय न्यायालय से आग्रह किया था कि ऐसे मामले में तत्काल गिरफ्तारी होती है।फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई ने एक सप्ताह से अधिक का समय क्यों लगाया। क्या कारण था ।

समय सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा

सभी पात्र बालिकाओं का करवाएं एचपीवी टीकाकरण : कलेक्टर

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए उद्यानिकी, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा, जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही अन्य विभागों को भी प्राप्त शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक और समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा कर नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में विक्रमोत्सव की भी समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा विभाग को टीकाकरण के महत्व के प्रति पात्र बालिकाओं और अभिभावकों को जागरूक करने और अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी सीडीपीओ को निर्देशित किया कि पोषण ट्रैकर ऐप से छूटे बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन किया जाए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने गर्भवती माताओं के पंजीयन तथा मातृ मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा कर सीएमएचओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन सप्लीमेंटेशन जैसे मानकों पर भी प्रगति लाने पर जोर दिया। सीईओ जिला पंचायत श्री जैन ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि फील्ड अमला दक्षतापूर्वक कार्य कर सके।

उन्होंने जल संचय जन-भागीदारी अभियान की समीक्षा करते हुए जल संरचनाओं से संबंधित कार्यों को पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश सभी सीएमओ और वन विभाग को दिए। साथ ही जनगणना कार्यों की समीक्षा कर जनगणना ब्लॉक गठन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं सीएमओ को दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

चौराहे का नाम मां कर्मा रखने का आग्रह, जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई, छिन्दवाड़ा के कृष्ण, बनखेड़ी की राधा ने मचाई धूम

सोहागपुर। नगर में मां कर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रातः सनफ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल से वाहन रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। विवेकानंद पब्लिक स्कूल में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें थाली सज्जा में डाली साहू , अराध्या साहू, भावना साहू वर्षा साहू, फेन्सी ड्रेस बालक प्रियास साहू, शिवाय साहू, फेन्सी ड्रेस बालिका अनन्या साहू, राधिका साहू, भावना साहू, अराध्या साहू, कुर्सी दोड में प्रथम त्रिवेणी साहू, द्वितीय अनिता साहू, एवं तृतीय संगीता साहू रही। सभी को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, तथा इसी क्रम में समाज के कक्षा पहली से 12वीं तक के करीबन 60 छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र अतिथियों ने प्रदान किए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह का भी आगमन हुआ। सामाजिक बन्धुओं ने विधायक का स्वागत किया।साहू समाज के अध्यक्ष भरत साहू ने विधायक से आग्रह किया कि नगर में एक चौराहे का नाम मां कर्मा के नाम रखा जाए। क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन देकर मां कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं।

समाज के गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम की सफलता पर साहू समाज के अध्यक्ष भरत साहू का अभिनंदन किया। शाम को पुराने थाने के काली मंदिर परिसर से विशाल शोभायात्रा निकाली गई। बैंड बाजे, डीजे के साथ छिन्दवाड़ा के कृष्ण एवं बनखेड़ी की राधा ने ट्रेक्टर ट्राली के मंच से मंत्र मुग्ध करने वाला नृत्य किया। इसी के साथ एक रथ पर राधा के स्वरूप में दर्शिका साहू एवं कृष्ण स्वरूप साहू की आकर्षित करने वाली जोड़ी बैठीं थीं । वहीं एक ट्रेक्टर ट्राली पर मां कर्मा एवं कृष्ण बालक भगवान् की झांकी थी।जिसमें मां कर्मा उनको खिचड़ी खिला रही थी।विशाल शोभायात्रा कन्या शाला, बिहारी चौक, कमानिया गेट, मुख्य बाजार, न्यायालय चौराहा से विवेकानंद पब्लिक स्कूल परिसर पहुंची। शोभायात्रा में सजातीय बन्धुओं से नागरिक केसरिया पगड़ी पहने हुए थे। वहीं मातृशक्ति भी कहीं पीछे नहीं रही। उनके सिर पर केसरिया पगड़ी सुशोभित हो रही थी। शोभायात्रा का स्वागत बिहारी चौक पर आंशिक साहू ने,एस एस मार्ट पर सचिन साहू ने इसके अलावा मोहन साहू ने किया। इस शोभायात्रा में विष्णु प्रसाद साहू, रमेश साहू,लक्ष्मण प्रसाद साहू, पत्रकार रीतेश साहू, पूर्व पार्षद मिश्रीलाल साहू, प्रवीण साहू, प्रशांत साहू,शुभम साहू, आनंद साहू, हेमंत साहू, सोनू साहू, आशीष साहू, मातृशक्ति में ललिता साहू, भारती साहू ज्योति साहू, संगीता साहू, माया साहू, सुनीता साहू आस्था साहू, अनिता गहेरेया,प्राची साहू आदि उपस्थित थे।

पीथमपुर की औद्योगिक इकाईयों के साथ ; 'इंडस्ट्री-एकेडेमिया वर्कशॉप' में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ एवं NAPS 2.0 पर शासकीय ITI धार ने किया संवाद..

70 से अधिक कंपनियों के एचआर मैनेजर्स ने लिया हिस्सा

धार। पीथमपुर स्थित निजी होटल मे आयोजित ''इंडस्ट्री-एकेडेमिया वर्कशॉप'' का विधिवत शुभारम्भ संयुक्त संचालक (कौशल विकास) इंदौर संभाग, सतीश मोरे एवं पदम गुलवानी स्टेट अप्रेंटिस मॉनिटरिंग सेल भोपाल के मुख्य आतिथ्य मे माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय आईटीआई धार के प्राचार्य राहुल मंडलोई ने की।

मुख्य अतिथि, संयुक्त संचालक सतीश मोरे ने अपने सम्बोधन मे विभाग की प्राथमिकताओं एवं आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए लागू की गयी महत्वाकांक्षी ''मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) तथा केंद्र सरकार की 'NAPS 2.0' योजना को औद्योगिक इकाईयों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। श्री मोरे ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से न केवल उद्योग जगत की कुशल मानव संसाधन की मांग पूरी हो रही है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ कौशल संवर्धन का भी बड़ा मौका मिल रहा है।

वर्कशॉप के विशिष्ट अतिथि पदम गुलवानी ने कहा कि विभाग निरंतर औद्योगिक इकाईयों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रयासरत है, इस वर्कशॉप का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों एवं युवाओं के बीच की दुरी को कम करना है जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।

वर्कशॉप के विषय MMSKY एवं NAPS पर विस्तार से जानकारी देने हेतु स्टेट अप्रेंटिसशिप मॉनिटरिंग सेल, भोपाल से आये हुए तकनीकी सलाहकार पदम गुलवानी एवं निपुण गुरु ने योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रावधानों एवं नई नीतियों पर विस्तृत प्रेजेन्टेशन दिया एवं पीथमपुर की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों से आये भ्त् मैनेजर्स की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

शासकीय आईटीआई धार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पीथमपुर क्षेत्र के प्रमुख उद्योग, जिनमें आयशर वोल्वो, महिंद्रा, इप्का लैब ,मेटलमेन ऑटो, लूईगोंग सहित 70 से अधिक कंपनियों के सीनियर मैनेजरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के संबंध में अपने अनुभव साझा किए एवं क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया। ॥क्रमैनेजर्स ने उक्त वर्कशॉप को उत्कृष्ट बताते हुए विभाग एवं संस्था के प्रति आभार माना।

वर्कशॉप के सफल आयोजन मे इंदौर के जूनियर अप्रेंटिस एडवाइजर विपिन पुरोहित, प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी इंदौर हरीश उइके, सतीश डोडिया, भवर सिंह मलैया, राजेंद्र गिरवाल, कमलेश रघुवशी, रामप्रताप सोलंकी, सुमित ग्वाला... पीथमपुर प्राचार्य जयेश मोहे का विशेष सहयोग रहा। संचालक (कौशल विकास) के निर्देश एवं मार्गदर्शन मे आयोजित उक्त वर्कशॉप के सफलता पूर्वक संपन्न होने पर 'संयुक्त संचालक इंदौर संभाग, श्री सतीश मोरे ने सस्था के प्राचार्य राहुल मंडलोई एवं ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर जितेन्द्र सिंह बदनोरा के सरहानीय प्रयासों का अभिनंदन किया एवं आगामी प्लेसमेंट ड्राइव की तैयारियो पर चर्चा की। कार्यक्रम का सफल संचालन भावना मुछाला प्रशिक्षण अधिकारी इंदौर आईटीआई ने किया एवं आभार संस्था के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जितेन्द्र सिंह बदनोरा ने माना।

संक्षिप्त समाचार

दिव्यांगजन चिन्हांकन हेतु आयोजित विशेष स्क्रीनिंग शिविरों का हुआ समापन

हरदा (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन में जिले में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत आयोजित विशेष स्क्रीनिंग शिविरों का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। अभियान का अंतिम शिविर 13 मार्च को ग्राम पंचायत सोडलपुर में आयोजित किया गया। उपसंचालक सामाजिक न्याय श्री कमलेश सिंह ने बताया कि दिव्यांगों की पहचान और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए जिले के 09 विभिन्न स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया गया था। इस अभियान में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने न केवल शिविरों में, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में भी पहुंचकर सघन स्क्रीनिंग की। इस पूरे अभियान के दौरान कुल 9589 दिव्यांगों की स्क्रीनिंग दर्ज की गई है। श्री सिंह ने बताया कि स्क्रीनिंग के बाद अब विभाग द्वारा चिन्हित किए गए हितग्राहियों के दिव्यांग सर्टिफिकेट तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी। प्रमाण पत्र बनने के बाद इन सभी पात्र हितग्राहियों को विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सहायक उपकरणों और पेंशन स्कीमों का लाभ सीधे मिल सकेगा।

नर्मदापुरम जिला अस्पताल में आग से बचाव की मॉकड्रिल,फर्स्ट फ्लोर पर चढ़कर महिला को खिड़की से नीचे उतारा

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिला अस्पताल में शनिवार को आग लगने पर मरीजों को बचाने वाली मॉकड्रिल हुई। अस्पताल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर खिड़की के रास्ते प्लाटून कमांडेंट ने पहुंचकर महिला को वापस उतारकर नीचे लाई। डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर के नेतृत्व में यह मॉकड्रिल हुई। आपदा बचाव एवं जन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रोजाना अलग-अलग गतिविधियां कर सिविल डिफेंस को जागरूक किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार को एसडीईआरएफ होमगार्ड, जिला अस्पताल एवम नगरपालिका की संयुक्त टीम के द्वारा फायर की मॉक ड्रिल करवाई गई। जिसमें प्लाटून कमांडर अमृता दीक्षित, शिवराज चौधरी के नेतृत्व में आग लगने पर इमरजेंसी नंबर 1070,1079 पर कॉल किया। तुरंत प्लाटून कमांडेंट ने फायर टीम के साथ मौके का मुआयना किया और विक्टिम को लेडर के माध्यम से बाहर निकालकर लाए। एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आईसीयू वार्ड में आग लगने की सूचना मिली। जिसके बाद टीम ने अस्पताल की छत से प्लाटून कमांडर अमृता दीक्षित ने एक छोटी बच्ची जो की आग में फंस गई थी। उसे केरविनर एवं असेण्डर डिसेंडर के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला एवं अन्य घायलों को भी नीचे उतारा गया, फिर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉकड्रिल के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सुनीता कामले एवं स्टॉफ मौजूद रहा।

कुरवाई के ग्राम नावकुंड में अवैध रेत उत्खनन पर छापामार कार्रवाई, उपकरण जब्त

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में अवैध खनिज उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में कुरवाई एसडीएम श्री मनीष जैन एवं खनिज निरीक्षक की टीम ने तहसील कुरवाई के ग्राम नावकुंड में रेत उत्खनन की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 13 और 14 मार्च की रात्रि में की गई इस कार्रवाई के दौरान अवैध रेत उत्खनन में उपयोग किए जा रहे उपकरण जब्त किए गए। टीम ने मौके से रेत उत्खनन में प्रयुक्त 20 ड्रम एवं 10 पाइप जप्त किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय से काम करें, योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे : केंद्रीय मंत्री श्री चौहान

■ **विकास कार्यों में तेजी लाएं, योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : केंद्रीय मंत्री श्री चौहान**

■ **केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति 'दिशा' की बैठक आयोजित**

सीहोर (निप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति 'दिशा' की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय के साथ मिलकर काम करेंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी विभागीय गतिविधियों की जानकारी समय-समय पर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं, ताकि आमजन का फीडबैक भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हो सके और कार्यों का बेहतर ढंग से संपादन किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति उसकी पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहे। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन करें, ताकि आमजन तक उनका लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और शासकीय सेवकों दोनों का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, इसलिए अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की विभागवार एवं जनपदवार विस्तार से समीक्षा की तथा बैठक के दौरान विधायकों एवं समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के., जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव तथा संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों द्वारा विभागीय प्रगति की विस्तार से जानकारी दी गई।

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय एवं ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आवास योजना के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के नाम छूट गए हैं, उनका पुनः सत्यापन कर लिया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाए, ताकि वे अपने स्वरोजगार को बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने जन संसाधन एवं जल निगम की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि समय-समय पर बांध, तालाब और बैराजों की मरम्मत भी की जाए, ताकि पानी व्यर्थ न बहे। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए यह भी कहा कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। पंचायतों में संचालित पेयजल योजनाओं में उत्पन्न गतिरोध को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर दूर किया जाए और योजनाओं का सुचारू संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान यदि सड़क या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी तुरंत मरम्मत भी की जाए। बैठक में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में जो भी विकास कार्य प्रस्तावित हैं, उनके लिए शीघ्र अनुमति प्रदान की जाए, ताकि कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सकें। बुधनी विधायक श्री रमाकांत भार्गव, सीहोर विधायक श्री सुदेश राय, आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर सहित जिला पंचायत एवं जनपद सदस्यों द्वारा सड़क, बिजली, पेयजल और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने सभी मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला बारेला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना मेवाड़ा, श्री रघुनाथ भाटी, श्री रवि मालवीय, सभी जनपदों एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष, एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला, जिला वन मंडलाधिकारी श्रीमती अर्चना पटेल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 9 हजार 73 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 01 लाख 6 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा 797 ग्राम संगठन तथा 35 क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) गठित किए गए हैं। बैंक लिंकेज के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 'लखपति दीदी' अभियान के अंतर्गत जिले में 23 हजार 598 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से लगभग 22 हजार 988 महिलाएं इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं। मंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में आवास प्लस योजना के अंतर्गत कुल 32 हजार 788 आवासों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 32 हजार 479 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब तक 14 हजार 449 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए आवास प्लस योजना में 17 हजार 723 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 12 हजार 951 आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए कार्यों में तेजी लाई जाए तथा जिन हितग्राहियों के नाम छूट गए हैं उनका पुनः सत्यापन किया जाए।

नेशनल लोक अदालत में 4424 प्रकरणों का हुआ निराकरण

रायसेन (निप्र)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च 2026 को जिला मुख्यालय रायसेन सहित जिले की सभी तहसील न्यायालयों में वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन उत्साहपूर्वक एवं सफलतापूर्वक किया गया। जिला मुख्यालय में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ श्रीमती शशि सिंह माननीय विशेष न्यायाधीष महोदया एट्रोसिटी अधिनियम रायसेन द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।

जिला मुख्यालय रायसेन में उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री अरविन्द जैन, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री कमलेश कुमार इटावदिया, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सचिन जैन, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्री सुनील कुमार शौक, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री महेश कुमार माली, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अजय कुमार यदु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन श्रीमती हर्षिनी यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री विनयकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, श्री अजय कुमार सक्सेना चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रायसेन, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल एवं बैंकों के अधिकारीगण, अधिवक्ता एवं पक्षकार गण उपस्थित रहे। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए जिले में कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया। इन खंडपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित 646 प्रकरणों तथा 3,778 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित कुल 4424 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 15,03,88,857 रुपये की समझौता राशि निर्धारित हुई, जिससे 5390 व्यक्तियों को लाभ मिला। लोक अदालत में आए पक्षकारों को पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधों का वितरण भी किया गया तथा उन्हें पौधों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। आपसी समझौते से विवादों का समाधान होने पर पक्षकारों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी और लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरों को लौटे।

वन नेशन, वन हेल्पलाइन' पहल को मध्यप्रदेश में मिली मजबूती

सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए तकनीक आधारित सहायता तंत्र को मजबूत किया गया है।

महिलाओं और बेटियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति तब संभव होती है जब महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिलें। राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और तकनीक आधारित सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिससे उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिल सकें। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, जागरूकता कार्यक्रम और त्वरित सहायता तंत्र इसी दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और तकनीकी से सशक्त बनाने में कई पहल की गई हैं। भारत सरकार की 'वन नेशन, वन हेल्पलाइन' पहल के अनुरूप महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को आपातकालीन सेवा ERSS-112 से एकीकृत करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना 31 अगस्त 2023 को की गई। इस एकीकृत प्रणाली के माध्यम से अब प्रदेश की कोई भी महिला, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे (24म7) 181, 1098 या 112 पर टोल-फ्री कॉल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है। तकनीक आधारित यह व्यवस्था संकट की घड़ी में त्वरित मदद उपलब्ध कराने के साथ महिला और बाल सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

महिला हेल्पलाइन 181 संकट में महिलाओं का भरोसेमंद सहारा : हिंसा से प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। यह सेवा प्रदेश के सभी वन स्टॉप सेंटर से एकीकृत है, जिसके पीड़ित महिलाओं को एक ही मंच पर पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 : बच्चों के संरक्षण की मजबूत कड़ी

बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को भी ERSS-112 से जोड़ा गया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉल्स को कॉल रेस्पॉन्डर द्वारा उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में कॉल्स को तुरंत ERSS-112 तथा संबंधित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजा जाता है, जबकि अन्य मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 जनवरी 2026 तक चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से 26 हजार 974 बच्चों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिसमें संकटग्रस्त बच्चों को संरक्षण, परामर्श, पुनर्वास और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।

तवानगर के जंगल में लुटेरों ने 1 घंटे मचाया आतंक,आदिवासी दंपति समेत ग्रामीण से छीने मोबाइल और नकदी

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के तवानगर के जंगल में घोघरी और बटकुई के पास तीन लुटेरों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक घंटे के भीतर दो लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अलग अलग स्थान से एक आदिवासी दंपति और एक अन्य ग्रामीण से नगद 6 हजार रुपए और दो मोबाइल छिन लिए और भाग निकले।

जैसे ही घोघरी और बटकुई के ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली। बड़ी संख्या में लोग लुटेरों को ढूंढने निकल पड़े। तवानगर थाने में सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय पांडे भी फोर्स के साथ लुटेरों को ढूंढने में जुट गए। जगह-जगह घेराबंदी की गई। तत्काल एक्शन से देर रात 12.30 बजे तक संदिग्ध दो युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पुलिस मामले में खुलासा भी करेगी। जानकारी के मुताबिक फरियादी साहब लाल भूसारे निवासी पिपरिया कला है। जो अपनी पत्नी फूलवती के साथ बाइक से दूसरे गांव से अपने गांव जा रहे थे। शुक्रवार शाम 6 बजे चौरासी बाबा मंदिर के पीछे छिपीखापा रोड पर जंगल में एक बाइक से आएं तीन बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने फरियादी का मोबाइल और पत्नी के पास रखे 6 हजार रुपए छिन लिए और भाग निकले। कुछ देर बाद शाम 7 बजे घोघरी, बटकुई के पास फरियादी रामेश्वर निवासी घोघरी को भी इन्हीं बदमाशों ने रोक लिया। उसे डराकर मोबाइल और नगद 500 रुपए छिन लिए। एक के बाद एक पीड़ित थाने पहुंचे। डबल लूट की शिकायत आते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी संजय पांडे ने टीम गठित की और आरोपियों को ढूंढने निकल पड़े। थाने में देर रात को डबल लूट की एफआईआर भी दर्ज की गई।

सीहोर में रोजगार मेला 17 मार्च को

सीहोर (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17 मार्च को सीहोर के डॉ. अम्बेडकर शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रातः 11 बजे युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में रोजगार विभाग द्वारा अनेक कंपनियों को आमंत्रित कर युवाओं को रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार प्राप्त हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा और नये प्रकरण तैयार किये जाएंगे। इसी प्रकार आईटीआई विभाग द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिये युवाओं को चयनित किया जाएगा। रोजगार मेले में अनेक कंपनियों द्वारा लगभग 1706 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी।

मंडीदीप में एलपीजी एजेंसी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही प्रकरण बनाते हुए जप्त किए गए सिलेंडर

रायसेन (निप्र)। मंडीदीप जिला रायसेन सेक्टर सी के प्लॉट नंबर 15 में श्री विनोद कुमार जैन प्रोपराइटर द्वारा एचपीसीएल कंपनी के कमर्शियल (इंडस्ट्रियल) सिलेंडर के ऑटोराइज डीलर होने के साथ सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद को सप्लाई करने हेतु प्राप्त 47.24 किग्रा क्षमता के 85 सिलेंडर ट्रक में रखे पाए गए जो कि होशंगाबाद सप्लाई करने हेतु दिनांक 13/3/26 को प्राप्त हुए थे। जो प्रेस न भेज कर अपने परिसर में रखे पाए गए हैं। इसी परिसर में 19 द्यद् के 115 नग व 5 केजी के 10 (5भरे व 5 रिक्त) रखे पाए गए जो कि गोडाउन में न रखकर बाहर खुले में रखे पाए गए जो कि प्राप्त अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है। मौके पर 19द्यद् तथा 5द्यद् के सिलेंडर विधिवत जप्त कर प्रकरण बनाया गया और कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने तथा प्रकरण में आदेश होने तक की अवधि के लिए उक्त सिलेंडर प्रो. श्री विनोद जैन की सुपुर्दगी ने गोदाम में रखे गए। प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं होने तक उक्त सिलेंडरों का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में अनिवार्य अधिकारी राजस्व श्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राजू कातुलकर के साथ तहसीलदार हेमंत शर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रताप सिंह, सहायक आपूर्ति अधिकारी संगीता एवं थाना प्रभारी श्री रंजीत सराठे द्वारा की गई।

भाजपा नेता पर अतिक्रमण का आरोप,पार्षद पुत्र का दावा- 2 हजार स्क्वेयर फीट जमीन पर कब्जा

दबाव में रेस्टोरेंट की सीढ़ियां हटवाईं, पार्षद पुत्र अमित खत्री ने दस्तावेज दिखाकर आरोप लगाएं

नर्मदापुरम(निप्र)। नर्मदापुरम के सतरस्ता स्थित मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में वार्ड-29 के पार्षद पुत्र अमित खत्री ने भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौकसे पर 2 हजार स्क्वेयर फीट नजूल भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। खत्री ने एसडीएम और नगर पालिका सहित अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है, जबकि भाजपा नेता ने आरोपों को निराधार बताया है। अमित खत्री ने आरोप लगाया कि सतरस्ता स्थित नजूल शीट नंबर 43 के प्लॉट नंबर 16 पर 510 वर्गफुट भूमि का पट्टा होटल व्यवसाय के लिए स्वर्गीय रतनलाल चौकसे को दिया गया था।

इन सीढ़ी को नगर पालिका ने हटाया है

उन्होंने कहा कि पूर्व मंडल अध्यक्ष को कुछ हिस्सा दुकान लगाने के लिए दिया था। लेकिन उन्होंने निर्धारित हिस्से से बाहर जाकर करीब 2 हजार स्क्वेयर फीट में कब्जा कर रखा है। खत्री के मुताबिक, इस कब्जे के कारण भीड़भाड़ होने पर यातायात भी बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार राजस्व और नगर पालिका अधिकारियों को यह सालों से नजर नहीं आता है।

दबाव में रेस्टोरेंट की सीढ़ियां हटवाने का दावा

खत्री ने बताया कि उन्होंने मुखर्जी कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए कॉम्प्लेक्स की गली से लोहे की सीढ़ी लगाई गई थी।

उन्होंने कहा कि सीढ़ी जहां लगी थी, वहां से गाड़ियों का आना-जाना नहीं होता है। सीढ़ी से सटकर ही पूर्व मंडलाध्यक्ष चौकसे के भाई की साइकिल की दुकान है। खत्री का आरोप है कि चौकसे ने शिकायत कर राजनैतिक दबाव में नगर पालिका से दुकान की सीढ़ियों को हटवा दिया। खत्री ने आरोप लगाया कि नपा चौकसे का अतिक्रमण नहीं हटा रही है।

पुरानी नाली पर निर्माण का भी लगाया आरोप

इसके अलावा खत्री ने आरोप लगाया कि पुराने बस स्टैंड के पास स्थित नगर पालिका द्वारा बनाई गई एक दुकान को भी चौकसे ने लिया है।1 आरोप है कि उस दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर नाली पर भी उन्होंने निर्माण कार्य कर लिया है। खत्री ने कहा कि इसकी शिकायत की गई है, पर नगर पालिका ने आज तक कार्रवाई नहीं की है। इस पूरे मामले में अमित खत्री ने एक पुराने नाले पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाते हुए एसडीएम, नजूल अधिकारी, पीडब्ल्यूडी और नपा को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है।

पूर्व मंडल अध्यक्ष बोले- सारे काम नियमों के तहत हुए

इधर भाजपा नेता राजकुमार चौकसे ने पार्षद पुत्र अमित खत्री द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से निराधार बताया है। चौकसे ने कहा, 'संबंधित दुकान की विधिवत रजिस्ट्री हो चुकी है। सभी काम नियमों के तहत किए गए हैं।'

राइट क्लिक

क्या कांशीराम को यूपी चुनाव के पहले भारत रत्न मिल सकता है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

क्या अगले साल उत्तरप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बड़े दलित नेता और चिंतक कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल सकता है? देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जीवित रहे होते तो क्या दलित कांशीराम को मुख्यमंत्री बनाते? कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ में कांशीराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'संविधान सम्मान कार्यक्रम' में ये दो मुद्दे उठाकर जहां नई राजनीतिक खलबली मचा दी है, वहीं उनके इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त राहुल गांधी द्वारा कांशीराम को याद करने के पीछे कांग्रेस का असल सियासी मकसद क्या है? क्या पार्टी इस बहाने काफी पहले गंवा चुके दलित वोट को फिर से हासिल करने की जुगत में है? क्या इन बयानों का दलितों पर कांग्रेस के हित में सकारात्मक और भावनात्मक असर होगा? अपने भाषण में राहुल गांधी ने कांशीराम को सामाजिक न्याय का महान योद्धा और बहुजन चेतना का मार्गदर्शक बताते हुए उन्हें 'भारत रत्न' देने की मांग की। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि कांशीरामजी ने भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदला तथा बहुजनों और गरीबों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। इसी कार्यक्रम में स्व. कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह भी कहा गया कि जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये सब काम होंगे।

राहुल के बयान को यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की तरफ से फेंका गया तगड़ा सियासी पासा माना जा रहा है। जिसकी गूंज सुनाई देने लगी है। इसने यूपी में मायावती, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेचैनी बढ़ा दी है। पहला रिएक्शन दलित नेता और यूपी की मुख्यमंत्री रहीं मायावती की तरफ से आया। लखनऊ में ही कांशीराम जयंती के अवसर पर बसपा सुप्रीमो अध्यक्ष मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लंबे समय तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, वैसी गलती भाजपा/एनडीए की केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए। संविधान की भावना के अनुरूप समतामूलक समाज बनाने में मान्यवर कांशीरामजी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां चुनाव के समय ही इन वर्गों और उनके महापुरुषों को याद करती हैं, जबकि सरकार बनने के बाद उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। उधर भरतपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बसपा नेता आकाश आनंद ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांशीरामजी में नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत थी, न कि नेहरू उन्हें मुख्यमंत्री बनाते। कांशीरामजी ने खुद पद का लालच किए बिना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए। आकाश ने सवाल किया कि जब कांशीरामजी का देहांत हुआ, तब केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया। कांग्रेस केवल दलितों का शोषण करती आई है। इस बीच बीजेपी ने प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जब तक कांशीराम जीवित रहे, कभी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। आज दलित वोट बैंक के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को तब भारत रत्न मिला, जब देश में जनता दल के नेतृत्व की सरकार बनी।

कांशीराम पंजाब के रहने वाले थे और रामदासी सिख थे। लेकिन सामाजिक न्याय के तहत भारतीय राजनीति को उन्होंने जिस ढंग से बदला, उसका सर्वाधिक असर उत्तर प्रदेश और कुछ प्रभाव बिहार पर पड़ा। इसका मुख्य कारण यह है कि देश में दलितों की सर्वाधिक 20 फीसदी जनसंख्या यूपी में ही है और इसमें भी आधी आबादी उस जाटव जाति की है, जिसका प्रतिनिधित्व मायावती करती हैं। कांशीराम का मानना था कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करके ही देश में सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है और जातीय भेदभाव खत्म किया जा सकता है। उन्होंने समाज के दबे-कुचले लोगों में यह आस न सिर्फ जगाई बल्कि उस पर अमल भी कर दिखाया कि वो भी सत्ता के शीर्ष पर बैठक सकते हैं। यूपी की धरती पर कांशीराम का नारा था- 'वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।' इस नारे ने तीन दशक पहले दलितों को कांग्रेस से दूर कर दिया। अब कांग्रेस को लगने लगा है कि जब तक दलित वोट उसके पाले में नहीं लौटता, तब तक राज्य में सत्ता में वापसी दिन का ख्वाब ही है। यह भी सच है कि कांशीराम और उनकी पार्टी के उदय के साथ ही यूपी और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस का सिमटना शुरू हो गया था, जो आज भी जारी है। बेशक, कांशीराम ने मंडल-कमंडल के दौर में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी तथा दलितों में सत्ता की भूख और आत्मविश्वास पैदा किया।

बहरहाल राहुल का यह बयान जहां दलितों को मायावती का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ आने का साफ सिग्नल है, वहीं इसने मायावती को उस बीजेपी को घेरने पर भी विवश कर दिया है, जिसकी उन्हें बी'टीम कहा जाता है। यही नहीं, राज्य में पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव के लिए भी राहुल का यह दांव चिंतित करने वाला है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों को अपनी तरफ सफलता से खींचा था। साथ ही सोशल इंजीनियरिंग कर सकल हिंदुओं को एक करने का दावा करने वाली भाजपा के लिए भी यह बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि यूपी में यूजीसी नियमो और शंकराचार्य प्रकरण ने पहले ही अगड़ों में गहरी दरार पैदा कर दी है।

यूं भी आजकल भारत रत्न और अन्य नागरिक पुरस्कार चुनावी गणित के मद्देनजर जाति या समुदाय विशेष का वोट बैंक साधने की दृष्टि से देने का चलन है। इस हिसाब से भी मोदी सरकार कांशीराम को भारत रत्न' देने की घोषणा कर सकती है। लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि यदि वह चुनाव के पहले कांशीराम को भारत रत्न दे देती है तो इसका राजनीतिक श्रेय राहुल गांधी ले जाएंगे और अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाला तो कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष भाजपा के दलित विरोधी होने का नरेटिव सेट करेगा। अभी यूपी में गैर जाटव दलितों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ है, अगर दलित वोट चुनाव में भाजपा से विपक्ष की तरफ चले गए तो यूपी में तीसरी बार विस चुनाव भाजपा के लिए मुश्किल होगा। हालांकि राहुल की मांग को दलित कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह तो आगे पता चलेगा।

अब बात दलित मुख्यमंत्रियों की। गौरतलब है कि इस देश में आजादी के बाद से अब तक कुल आठ दलित मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से तीन कांग्रेस ने बनाए हैं जबकि भाजपा ने एक भी दलित सीएम नहीं बनाया है। पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते केवल एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो थे दामोदरम् संजीवैया। संजीवैया आंध्रप्रदेश के दूसरे सीएम थे और अपने पद पर केवल दो साल तक ही रह सके। उनके अलावा सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान, चरनजीत सिंह चन्नी पंजाब के अल्पकालीन मुख्यमंत्री रहे। सबसे ज्यादा तीन दलित मुख्यमंत्री बिहार में हुए, ये हैं जीतनराम मांझी, भोला पासवान शास्त्री तथा राम सुंदर दास। इनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। केवल उत्तर प्रदेश में मायावती ऐसी दलित नेता हैं, जो न केवल चार बार सीएम बनी बल्कि अंतिम बार उन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल भी पूरा किया।

जहां तक सवाल कांशीराम के नेहरूजी के प्रधानमंत्री रहते सीएम बनने का है तो यह खयाली पुलाव ज्यादा है। क्योंकि 1964 में जब नेहरूजी का निधन हुआ, तब कांशीराम की उम्र केवल 30 साल थी। पहले वो सरकारी नौकरी करते थे। एक्टिविस्ट तो बाद में बने। ऐसे में उन्हें किस आधार पर सीएम बनाया जाता और वो भी यूपी का, जिससे उनका तब तक कोई सम्बन्ध नहीं था, समझना कठिन है। जब यूपी में बसपा का सीएम बनने की बात आई तो कांशीराम ने अपनी शिष्या मायावती का नाम आगे किया। क्योंकि उनका मिशन सत्ता का उपभोग करना था ही नहीं। वैसे भी कांग्रेस ने यूपी में आज तक किसी दलित को सीएम नहीं बनाया। रही बात भारत रत्न की तो देश में अब तक 53 असाधारण प्रतिभाओं को यह सम्मान दिया गया है, उनमें से दलित नाम केवल बाबा साहब अंबेडकर का है। वो भी उनकी जन्म शताब्दी पर तत्कालीन जनता दल की पीवी सिंह सरकार ने दिया था। अगर नेहरूजी चाहते तो देश को संविधान देने के लिए बाबा साहब को 1954 में भारत रत्न की पहली सूची में ही शामिल कर सकते थे। तब तो बाबा साहब जीवित थे। हालांकि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान और इससे विभूषित होने वाले महान लोगों को केवल जाति के चश्मे से देखना संकीर्णता है, लेकिन पहली सूची में जिन चार लोगों के नाम थे, उनमें तीन ब्राह्मण और एक वैश्य समुदाय से थे। कांग्रेस चाहती तो यूपीए के अपने दस साल के कार्यकाल में कांशीराम को भारत रत्न दे सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह अपेक्षा अब वह मोदी सरकार से कर रही है।

जबलपुर जिला अदालत के बाहर धमाका

कोर्ट परिसर में मच गई थी अफरा-तफरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर जिला अदालत के बाहर सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब कोर्ट नंबर-2 के पास तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद वकीलों और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। पुलिस को मौके से धमाके के बाद अवशेष और माचिस बरामद हुई है।

जानकारी के मुताबिक शाम करीब 5 से 5:15 बजे के बीच कोर्ट का अंतिम काम चल रहा था। इसी दौरान सीजेएम कोर्ट नंबर-2 के बाहर तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही कोर्ट में मौजूद वकील इसे गंभीर घटना मानते हुए बाहर निकलने लगे। सूचना मिलते ही ओमती थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

पुलिस की शुरुआती जांच चल रही है और पता लगाया जा रहा कि यह किससे धमाका हुआ है । घटना को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने विरोध जताते हुए इसे अदालत की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने अवशेष जब्त कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी व्यक्ति की किसी वकील से पुरानी रंजिश भी इस घटना की वजह हो सकती है, इसलिए पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।

घटना ने सुरक्षा पर उठाए सवाल- अधिवक्ता मनीष मिश्रा, अध्यक्ष जिलाअधिवक्ता का कहना है कि आज कोर्ट में जो घटना हुई है, वह न सिर्फ जज और वकीलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कोर्ट परिसर के भीतर बे-रोकटोक कोई भी प्रवेश कर रहा है।

सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कोर्ट के हर गेट पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहती है, तो फिर कोई व्यक्ति बम लेकर अंदर कैसे पहुंच गया और धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही छोटा धमाका हुआ हो, लेकिन यह घटना साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करती है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि पुलिस को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना न हो।

अधिवक्ताओं ने बताया कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में भी सुरक्षा को लेकर इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें एक शिक्षक चाकू लेकर हाईकोर्ट के अंदर घुस गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था। इसके कुछ दिन बाद ही जिला कोर्ट में इस तरह का धमाका होना यह दर्शाता है कि न तो हाईकोर्ट में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही जिला कोर्ट में।

धमाके की आवाज सुनकर ओमती थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिला कोर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जो भी संदिग्ध दिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सूचना आयोग होगा 'संघ' मय

राज्य सूचना आयोग में खाली कुर्सियों पर धूल जमने के दिन अब लदने वाले हैं। खबर है कि सवा दो सौ से अधिक आवेदकों की 'भीड़' को किनारे कर चयन समिति ने दो ऐसे नामों को चुना है, जिनकी कुंडली में 'संघ' का योग प्रबल है। एक महाशय इंदौर से हैं और दूसरे दूरदर्शन-आकाशवाणी से

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

संबंध रखने वाले हैं और सीधे आयोग की कुर्सी पर विराजने वाले हैं। विपक्ष के नेता ने भी एक नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन समिति ने उसे ऐसे खारिज किया जैसे पुरानी शर्ट से उतरा हुआ बटन। आखिर पारदर्शिता की मशाल वही बेहतर थाम सकता है जिसकी 'पृष्ठभूमि' में संगठन की मजबूती हो। फाइल अब राजभवन की मेज पर है, जहाँ से हरी झंडी मिलते ही 'सूचना' देने का काम 'संस्कारी' हाथों में होगा।

चावल-गेहूं के बीच निकल गया 'तेल'!

एक महकमे की हालत इन दिनों उस बहु जैसी हो गई है जिसे एक साथ चूल्हे पर दाल, कुकर में चावल और दरवाजे पर आए मेहमान की खातिरदारी करनी पड़ रही है। विभाग पहले से ही चावल की मिलिंग और गेहूं उपार्जन की तैयारियों के बोझ तले दबा था कि ऊपर से 'पेट्रोल-डीजल और गैस' का पैनिक आ गिरा। ऊपर से नीचे तक सारा अमला 'पीक आवर्स' के चक्कर में 'वीक' (कमजोर) होता जा रहा है। बैठकें इतनी लंबी चल रही हैं कि अफसरों को अपना घर का रास्ता याद रखने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लेना पड़ रहा है। दावे तो बहुत हैं कि सब ठीक है, लेकिन अफसरों के चेहरों पर झुर्रियां बता रही हैं कि प्रदेश का तनाव दूर करते-करते इनका खुद का 'ईंधन' खत्म होने वाला है।

संपत्ति बन सकती है मुसीबत

संपत्ति की घोषणा क्या हुई, एक आईएएस साहब की तो रातों की नींद ही उड़ गई। किस्सा पुराना है–कोरोना काल में जब दुनिया ऑक्सीजन ढूंढ रही थी, साहब अपने बेटे के लिए 'प्रॉपर्टी' ढूंढ रहे थे। एक उदारवादी बिल्डर ने साहब के कानून पढ़ रहे सुपुत्र को 80 लाख रूपए की संपत्ति 'दान' कर दी। बदले में साहब ने भी बिल्डर को करोड़ों का 'फायदा' कराकर अपना फर्ज निभाया। लेकिन कहते हैं न कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, पर यहाँ तो विरोधियों ने पूरी जबड़ा ही चेक कर लिया है। अब बिल्डर साहब विरोधियों के पाले में बैठे चाय पी रहे हैं और साहब को डर है कि कहीं ये 'दान' उनके करियर का 'कबाडा' न कर दे। क्योंकि आईएएस ने दान संपत्ति का ब्यौरा जो साझा कर दिया है। शिकायत की फाइल तैयार है, बस धमाके का इंतजार है।

कहीं यह विलाप कुर्सी का दर्द तो नहीं

सरकार के एक माननीय मंत्री जी को अचानक नर्मदा मैया की इतनी चिंता हुई कि उन्होंने बैठक के दौरान ही कलेक्टर साहब को मोबाइल पर अवैध उत्खनन के लाइव वीडियो तक दिखा दिए। मंत्री जी का यह 'नर्मदा प्रेम' देखकर लोग हैरान हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जब साहब खुद पूरी 'पावर' में थे, तब क्या नर्मदा में बजरी की जगह सोना निकल रहा था जो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी? सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह मुद्दा उत्खनन रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी की सरकार की 'खदान' खोदने के लिए उठाया गया है। पार्टी के पुराने धुरंधर मुस्कुराकर पूछ रहे हैं– 'हुजूर, जब मलाई हाथ में थी तब मैया की याद क्यों नहीं आई? आज अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कहीं ये विलाप कुर्सी का दर्द तो नहीं? '

भोपाल में कृषि वर्ष पर मंत्रियों-विधायकों का महामंथन

खेती को 'फायदे का धंधा' बनाने पर हो रही चर्चा, सीएम की मौजूदगी में अधिकारी दे रहे प्रेजेंटेशन

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज (सोमवार को) कृषि वर्ष 2026 को लेकर बड़ा वैचारिक समागम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कृषि उन्मुखीकरण कार्यशाला को सम्बोधित किया।

कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, एदल सिंह कंसाना, करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, लखन पटेल, गौतम टेटवाल, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाह, दिलीप अहिरवार, राधा सिंह, तुलसी सिलावट, धर्मेंद्र सिंह लोधी आदि मंच पर उपस्थित हैं।

खेती को लाभ का धंधा बनाने पर फोकस- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि वर्ष के दौरान जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। दिनभर चलने वाले इस मंथन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर खेती को वास्तविक रूप में 'फायदे का धंधा' कैसे बनाया जाए। भोजन अवकाश के बाद कृषि और उससे संबद्ध विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के सामने अपनी कार्ययोजना का प्रजेंटेशन देंगे।

जल है तो कल है का नहीं है कोई विकल्प, बूंद-बूंद बचाने के करेंगे हर संभव प्रयास : मुख्यमंत्री

तीसरा जल गंगा संवर्धन अभियान-2026, म.प्र. नदियों का मायका, जल आत्मनिर्भरता से ही बनेगा समृद्ध प्रदेश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम हर गांव, हर शहर और हर नागरिक को जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना चाहते हैं। समाज और सरकार जब साथ मिलकर काम करेंगे, तो मध्यप्रदेश समृद्धि की दिशा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रदेश के नागरिकों को पानी बचाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना होगा, इससे मध्यप्रदेश जल संचयन और प्रबंधन में देश का एक मॉडल स्टेट बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संबंधी जरूरतों की पूर्ति और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा की मंशा से प्रदेश सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर जल गंगा संवर्धन अभियान शुरु करने जा रही है। भारतीय नववर्ष प्रतिपदा (गुढ़ी पड़वा) के शुभ अवसर पर 19 मार्च को उज्जैन की शिप्रा नदी तट से इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक अनवरत् चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संरक्षण एक सामाजिक आंदोलन बनाना है। प्रदेश की जनता, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न शासकीय विभागों की साझेदारी से यह अभियान प्रदेश में जल संवर्धन की नई मिसाल स्थापित करेगा।

पहले चरण में बनीं 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 में राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। इसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए गए। पहले चरण में कुल 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया। इनमें प्रमुख रूप से तालाब निर्माण एवं पुनर्जीवन, कुएं और बावड़ियों की मरम्मत नहर निर्माण, सूखी नदियों का पुनर्जीवन एवं जल संरक्षण से जुड़ी अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इन कामों से प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला और किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भी उपलब्ध हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण की परम्परा सदियों पुरानी है। प्राचीन काल से ही तालाब, कुएं और बावड़ियां सिर्फ़ जल के स्रोत न होकर सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करते थे। सरकार उसी परम्परा को आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के जरिए पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य नई जल संरचनाएं बनाने के साथ ही प्रदेश में जल संरक्षण की संस्कृति को समृद्ध करना भी है। अभियान से गांव-गांव में लोगों को यह समझाया जाएगा कि वर्षा जल का संरक्षण, भूजल का पुनर्भरण और जल स्रोतों का संरक्षण जीवन और विकास दोनों के लिए अनिवार्य है।

वर्ष-2025 में चलाए गए जल संरक्षण अभियान के दूसरे चरण में भी व्यापक स्तर पर कार्य हुए। इस चरण में प्रदेश में 72 हजार 647 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 64 हजार 395 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है।

जनभागीदारी है अभियान की सबसे बड़ी शक्ति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार जनभागीदारी है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के इस महाअभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करे। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में श्रमदान कर तालाब और कुओं की सफाई की जाए। वर्षा जल के संचयन की व्यवस्था घरों में भी करने के उपाय करे। जल स्रोतों के आस-पास स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यदि समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे, तो प्रदेश जल समृद्ध राज्य बन सकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान से जल संरक्षण को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही इसके दूरगामी पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ भी होंगे। इस अभियान से भू-जल स्तर में सुधार, किसानों को सिंचाई के लिए और अधिक पानी, जल अभाव/अल्प वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों को राहत, पर्यावरण-संरक्षण को बल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही भविष्य के लिए बेहतर जल प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की चुनौती के दृष्टिगत जल प्रबंधन आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। मध्यप्रदेश सरकार का यह अभियान इसी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।